कामकाजी महिला

वर्ष 2 अंक 1 दिसम्बर, 1989 मूल्य : एक रुपया

कांग्रेस-प्रशासन के खिलाफ जनता का फैसला

नवें लोक सभा चुनावों में आम पुरुष महिलाओं ने राजीव गांधी सरकार को हरा दिया। मुफलिसी, शोषण और बदहाली का प्रतिनिधित्व करता कांग्रेस प्रशासन खत्म ही गया। राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी ताकतों की विजय से तमाम जनवादी लोगों में उल्लास छा गया है। पश्चिमी बंगाल की वाममोर्चे की महत्वपूर्ण विजय ने बिना अपवाद के हरेक आदमी को प्रसन्न किया है। कांग्रेस पार्टी को 42 में से मात्र 4 सीटें मिलीं। राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में तो वह लगभग उखड़ ही गई। काफी संख्या में सीटें लेकर जनता दल ने जबर्दस्त जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल की कामरेड मालिनी भट्टाचार्य का जिक्र करना प्रासंगिक है, जिन्होंने कांग्रेस (इ) की ममता बनर्जी को 30,900 मतों से पस्त किया। कानपुर से सी०पी०एम० की उम्मीदवार कामरेड सुभाषिनी अली ने कांग्रेस (इ) और भा०ज०पा० से लोहा लेते हुए भा०ज० पा० उम्मीदवार को 56,587 वोटों से हराया। भा०ज० पा० ने कामरेड सुभाषिनी के विरोध में भयानक सांप्रदायिक प्रचार किए। संसद की ये दोनों महिला उम्मीदवार हमारे साधुवाद की पात्र हैं। सी०पी०आइ० की कामरेड गीता मुखर्जी कांग्रेस को हराकर एक बार फिर पंशकुरा (प० बंगाल) से विजयी रहीं। हमें विश्वास है कि वे लोकसभा में आम लोगों के हितों की रक्षा का परचम लहराती रहेंगी। हालांकि मतदाताओं ने हरेक राज्य में समान फैसला नहीं दिया है, उन्होंने सफल तरीके से कांग्रेस को सत्ता में आने से वंचित किया।

चुनावों में हिंसा

इस बार के चुनाव प्रशासक पार्टी द्वारा प्रेरित अभूतपूर्व हिंसा और घोटाले के बीच हुए। त्रिपुरा के संसदीय चुनावों में तो घोटाले का साम्राज्य रहा और सी०पी०

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

कांग्रेस प्रशासन के खिलाफ जनता का फैसला	2
तमिलनाडु कामगार महिला समन्वय समिति का दूसरा राज्य सम्मेलन	3
कोटा में साम्प्रदायिकता विरोधी महिला सम्मेलन	6
विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी महिलाओं का संघर्ष	7
विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति आयु बढ़ाकर 58 वर्ष की गई	9
उजान मैदान की बलत्कृत महिलाओं को न्याय की इंतजार है	11
आडिट और एकाउन्ट की महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन	12
आंगनवाड़ी महिलाओं को धमकी की निंदा	14
रावतभाटा जनवादी महिला समिति का सम्मेलन	15
नामीबिया—एक राष्ट्र का जन्म	16
फातिमा बीवी को बधाई	17
सोफिया सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधि श्रीमति जे०एम० जैकसन का भाषण	17
आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं की दुर्दशा व ज०म०स० के बढ़ते कदम	20
जयपुर में आंगनवाड़ी महिला सम्मेलन	21
एडवा की केन्द्रीय कार्यकारिणी का वक्तव्य	22
कामरेड ला पैशोनारिया	23

मीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

तमिलनाडु कामगार महिला समन्वय समिति का दूसरा राज्य सम्मेलन

सीटू तमिलनाडु राज्य कमेटी के तत्वावधान में 20 सितम्बर 1989 को कन्याकुमारी जिले के मुख्यालय नागेरकोइल में कामकाजी महिलाओं का दूसरा तमिलनाडु राज्य सम्मेलन हुआ। यह एक यादगार सत्र था, जो तमिलनाडु की कामकाजी महिलाओं के आंदोलन को मोड़ देने वाला साबित हुआ।

सम्मेलन के आकार में ही तमिलनाडु की कामकाजी महिलाओं के आंदोलन में हाल में आई उभार और आंदोलन में घुस पड़ने की आतुरता परिलक्षित होती है। 107 प्रतिनिधियों, 164 कामकाजी महिला पर्यवेक्षकों सहित कुल 217 ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछले राज्य सम्मेलन में आए 22 व्यक्तियों को छोड़कर, शेष 107 प्रतिनिधि सम्मेलन में पहली बार शिरकत कर रहे थे।

प्रतिनिधि मंडल की संरचना से स्पष्ट था कि आंदोलन ने विस्तृत हलकों को अपनी ओर आकृष्ट और है।

प्रतिनिधि औद्योगिक मजदूर, असंगठित उद्योग, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों, खेतिहर मजदूरों और नर्सिंग स्टाफ जैसे कई हलकों से आईं थीं।

श्रीमति सुकुमारी ने, जो न्यू अंबाडी एस्टेट (कन्याकुमारी जिला) की एक यूनियन कार्यकर्ता हैं—ने सीटू के झंडे को फहराया। (इस्टेट वही इलाका है जहां 30 अगस्त बंद में हिस्सेदारी करने के चलते गोपी नाम के मजदूर को पुलिस हिरासत में यंत्रणा देकर मार डाला गया था।) जैसे ही कॉमरेड बी. टी. आर. ने हॉल में प्रवेश किया समूचे सम्मेलन ने उत्साह से खड़ा होकर उनका अभिवादन किया।

सम्मेलन ने एक अध्यक्ष मंडल का चयन किया, जिसकी सदस्याएँ हुईं—कामरेड सुकुमारी (सीटू प्लांटेशन वकर्स यूनियन, कन्याकुमारी), कामरेड ईश्वरी (तिरूप्पुर बनियान वकर्स यूनियन), और कामरेड उमा माहेश्वरी (मध्यमर्गी संगठनों से)।

अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की संचालिका कामरेड मैथिली शिवरामन ने देश की महिलाओं और कामकाजी महिलाओं की वर्तमान दशा, तमिलनाडु में उनकी दशा अभी पिछले छः सालों में उन्हें सीटू द्वारा सक्रिय बनाने के प्रयासों पर एक विस्तृत ब्योरा पेश किया और भविष्य के लिए 12-सूत्री मांग-चार्टर बनाया और उसे सम्मेलन में बहस और अगर कोई संशोधन हो तो उसके लिए रखा।

एक खुली बहस छिड़ी जिसमें 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कामकाजी महिलाओं की एक सच्ची आवाज थी। उसका एक हिस्सा उनकी बदहाल कार्य-दशाओं का बेजोड़ खुलासा प्रस्तुत करता था।

"पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार होता है, उन्हें दिन के मात्र 15/- मिलते हैं, जिनमें से 10 रु० डायनामाइट विस्फोटों पर खर्च हो जाता है, और बचता है मात्र 5 रुपया पदुकोट्टाई जिले की एक प्रतिनिधि ने कहा।

"हम आंगनवाड़ी और पोषाहार योजना की कार्य-कर्त्ताएँ 9 से 4 बजे तक काम करती हैं। क्या हमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? प्रसवकाल में हमें 3 महीने के लिए अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया जाता है। छुट्टी से लौटने पर हमें दूर-दराज के इलाकों में भेज दिया जाता है। प्रदर्शनों और जुलूसों से हमारी हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम कब तक यह सब झेलते रहेंगे" ये गर्जना थी कन्याकुमारी जिले की पोषाहार योजना की कार्यकर्त्ताओं की।

प्रधान मन्त्री राजीव गांधी द्वारा हाल में आयोजित आंगनवाड़ी महिला सम्मेलन में भाग लेने वाली श्रीमति राजेश्वरी ने कहा—"मैंने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। राजीव गांधी को आंगनवाड़ी कर्मचारियों के त्राता के रूप में पेश किया गया। लेकिन हम लोगों ने जब अच्छे वेतन और मातृत्व सुविधा आदि की बातें एक स्वर में उठाया तो गुब्बारा फूट गया और राजीव गांधी सच्चे रंग में आ गए—हमें अपनी व्यवसायिक मानसिकता छोड़कर सेवा भावना अख्तियार करने का उपदेश देने लगे।"

"मालिक फैक्टरियों में शिशु-गृह नहीं देते और यदि

हम कार्यस्थान पर बच्चे को लाते हैं तो हमें काम से निकाल दिया जाता है" पेरियार जिले के लघुऔद्योगिक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि ने कहा।

"हमें रसायनों का काम करना होता है। बकरी के बालों के बीच खाना पड़ता है। और फिर भी मालिक हमें एक छत भी मुहैय्या नहीं कर सकते" कोयम्बटोर की एक प्रतिनिधि ने शिकायत की।

"हम महिलाओं को पासबुक नहीं दिया जाता। वे पुरुषों के नाम जारी किए जाते हैं। हम मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकल आई हैं और हम सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी लड़ेंगीं"—यह तिरूनेल्वेली कट्टबोम्मन जिले की मुस्लिम बीड़ी मजदूरिन की दहाड़ थी।

मध्यवर्ग कर्मचारियों की एक प्रतिनिधि ने मालिकों और प्रशासन की खबर ली।

"परस्पर सहमति की बदलियां भी नहीं की जातीं। शादी के बाद पति के साथ रहने के लिए त्यागपत्र देना ही एकमात्र विकल्प बचता है"—एक प्रतिनिधि ने कहा।

राज्य विद्युत बोर्ड में काम करने वाली एक प्रतिनिधि ने कहा, "हम शानदार दस-मंजिली इमारत में काम करने वाली 200 महिलाएं हैं। हरेक आफिसर को वातानुकूलित कक्ष मिला हुआ है। और हमारे पेयजल से कई कर्मचारियों में बीमारी फैल गयी। भवन की शालीनता के अन्दर अन्याय का कोढ़ छिपा है।"

एक और प्रतिनिधि ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल नहीं मिलते। लेकिन मद्रास की डनलप इंडिया की एक मजदूर तो गुस्से में उबल ही पड़ी।

'हमारी फैक्टरी ने श्मशान घाट के पास हमें एक होस्टल दे रखा है, जहाँ लोगों का कोई निवास नहीं और हमें आसुरक्षित माहौल में रहना पड़ता है। एक रात एक नर्स को डिलीवरी के बहाने बाहर बुलाया गया और उससे बलात्कार किया गया। ग्राम-प्रमुख से शिकायत करने पर यह फैला दिया गया कि नर्स 'अच्छी औरत नहीं' थी। पति द्वारा छोड़ दिये जाने पर उसका वहां से सदा के लिए चला जाना दुःखद था।"

डींडीगल की एक प्रतिनिधि ने कहा कि उनका हॉस्टल काम करने की जगह से बहुत दूर है, एक तीन सितारा होटल और एक ताड़ी की दुकान के पास है—लिहाजा वहाँ की लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज से अत्यन्त बुरी जगह है। दोनों प्रतिनिधियों की मांग थी कि हॉस्टल शहर में या औद्योगिक या आफिस क्षेत्र में हों।

सीटू कमेटी की भूमिकाओं को लेकर तीखी आलोचनाएं व्यक्त की गई।

दक्षिण आर्कोट जिले की प्रतिनिधि श्रीमति रीता ने स्पष्ट कहा—"कामकाजी महिलाएं संघर्षों में हिस्सा लेती हैं, पर हमारे सीटू जिला कमेटी ने इन सालों में एक भी समन्वय समिति नहीं बनायी, उनकी मांगों पर एक भी आंदोलन नहीं छेड़ा। वे समझती हैं कि राज्य प्रतिनिधि सभाओं में एकाध प्रतिनिधि भेजकर ही उनका काम खत्म हो गया।"

सलेम जिले की प्रतिनिधि राजलक्ष्मी का कहना था, "हमारी समन्वय समिति 1979 में बनी थी। लेकिन हमारी जिला सीटू कमेटी ने इससे आज तक काम नहीं करवाया।"

एक मद्रास प्रतिनिधि उमा माहेश्वरी ने कहा, "हमारी समिति को चुने पाँच महीने हुए। यह एक बार ही मिली, एक कार्यक्रम बनाया और वहीं थम गई। कई जिलों में समितियां बनीं पर काम नहीं करतीं।"

मदुराई जिले के हथकरघा मजदूरों की प्रतिनिधि श्रीमति इसाइक्की ने शिकायत की कि उनकी जिला सीटू भी समन्वय समिति को बुलाने की कोई कोशिश नहीं करती।

श्रीमति कन्नम्मा की आलोचना थी कि हम मध्यवर्ग की महिलाओं की समस्या पर ज्यादा और मजदूरवर्ग पर कम ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा दलित महिलाओं को लामबंद कर सीटू काफी संख्या में महिलाओं को आकर्षित कर सकती है।

प्रतिनिधियों ने सीटू राज्य कमेटी को भी नहीं छोड़ा। एक प्रतिनिधि का प्रश्न था, "सक्रिय होने की हमारी इच्छा के बावजूद आपने इस सम्मेलन को बुलाने में छः वर्ष का समय क्यों लिया; आगे से आपको यह सम्मेलन हरेक 2 या 3 वर्षों में करना चाहिए। हमारा सीटू यूनियन महिलाओं की राजनीतिक चेतना बनाने के लिए कुछ नहीं करता।"

लेकिन क्लाइमेक्स था सीटू सम्मेलन के दूसरे दिन त्रिचुरी जिले की श्रीमति ऐसिन का तीखा आक्रमण—"हमारे यूनियन ने हम में से कुछ को कार्यकारिणी में ले लिया है। पर हमें बोझ समझा जाता है। और इसलिए वे कमेटी मीटिंग करके हमारे बिना ही निर्णय ले लेते हैं।

उन्होंने हम में से कुछ को ऑफिस में लिया है। लेकिन वे हमें प्रबंधकों से बातचीत करने नहीं ले जाएँगे, मजदूरों के लिए बसों का इन्तजाम तो वे करेंगे लेकिन हमें आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे साथ द्वितीय श्रेणी की नागरिकों-सा व्यवहार होता है। यह तुरत रुकना चाहिए," वे उबलीं।

लेकिन कुछ प्रतिनिधियों ने महिलाओं को संगठित करने और संघर्ष आयोजित करके जीत दिलाने के लिए स्थानीय सीटू कमेटियों को बधाई भी दी।

कामरेड मैथिली शिवराम ने बहस का जवाब दिया और सम्मेलन ने एक 12-सूत्री मांग-चार्टर अंगीकृत किया।

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने सम्मेलन का अभिवादन करते हुए कहा,

"हमारे देश की कामकाजी महिलाओं का आंदोलन एक नए दौर में पहुँच गया है। उनके बीच चेतना का विकास हो रहा है। एक सशक्त आंदोलन बनाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।"

पिछले तीन वर्षों में महिलाओं को लामबंद करने में सीटू की क्षमता की वृद्धि की चर्चा करते हुए का० बी.टी. आर. ने कहा, "सही वक्त पर शुरुआत और योजनाबद्ध ढंग से काम करके महिलाओं को अब बड़े पैमाने पर लामबंद किया जा सकता है—जैसा कि 8 सितम्बर की कामकाजी महिलाओं की विशाल रैली से स्पष्ट दीखता है"

काम के अधिकार को संविधान में एक मौलिक अधिकार की तरह दर्ज करने की बात पर उन्होंने बताया, "राजीव का कहना है कि ऐसा विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। सच है कि अमरीकी, ब्रिटिश और दूसरे पूंजीवादी संविधानों में इसकी जगह नहीं। लेकिन सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और दूसरे समाजवादी देशों के संविधान में ऐसा प्रावधान बखूबी दर्ज है अतः हमें वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए—ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां काम का अधिकार संविधान के द्वारा गारंटी—प्रदत्त मौलिक अधिकार हो।"

गोआ स्पीकर द्वारा हाल में एक महिला को बेइज्जत करने के प्रयास, हाल में एक आदिवासी महिला के बलात्कार के बाद उसके नग्न शरीर को नदी में फेंक देने और मदुराई जिले में दंगे को जन्म देने वाली हरिजन महिला की हत्या आदि के संदर्भ में कामरेड बी. टी. आर. ने कहा;

"हमारे देश की कामकाजी महिलाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ-साथ अपने सम्मान और मर्यादा के लिए भी लड़ना है।"

कामरेड बी. टी. आर. ने असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने पर बल दिया और कहा कि हमारे ट्रेड यूनियन संगठनों को उन तक बड़े पैमाने पर पहुँचना होगा।

बहस में उभरे एक मुख्य मुद्दे पर बात करते हुए कामरेड बी. टी. आर. ने कहा, कई प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनों, हड़तालों और पिकेटिंग के लिए तो बुलाया जाता है, पर उन्हें ट्रेड यूनियनों में जिम्मेदारी के काम नहीं दिये जाते। बहुत जरूरी है कि महिलाओं को ट्रेड यूनियनों में नेतृत्व दिया जाय और जिम्मेदारी के कार्य सौंपे जांय।

सम्मेलन के समापन-भाषण में कामरेड बी०टी०आर० ने प्रतिनिधियों को आवाज़ दी, "आप दहेज, दुल्हन-दाह, विषमता, अंधविश्वास आदि कई सामाजिक कुरीतियां झेल रही हैं। एक महिला के रूप में आपको इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना है और अपने अधिकारों को पहचानना है। जब राजीव गांधी जैसे लोग जनवादी अधिकारों पर हमले बोलते हैं तो नागरिक होने के नाते आपको जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए हमलों से लड़ना है। और कामकाजी महिलाओं की प्रतिनिधि होने के चलते कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आपको लड़ना है। इन तीन भूमिकाओं में अपने कार्यों के प्रति सचेत हो आप ज़रूर सफल होंगी।"

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया

वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

कोटा में साम्प्रदायिकता विरोधी महिला सम्मेलन

□ चंद्रा स्वामी, कोटा

कोटा में दिनांक 4 नवम्बर 89 को अ० भा० ज० महिला समिति की जिला इकाई द्वारा साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती शकून बानो, शमा मिश्रा, राजबाला चन्द्रकला व किरण देवी के अध्यक्ष मण्डल ने की तथा संचालन सौंपा गया जिलाध्यक्ष चन्द्रा स्वामी को। जिले की विभिन्न तहसीलों से आई 106 प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता थी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विमला रणदिवे और राजस्थान प्रदेश महामंत्री सुमित्रा चौपड़ा।

विमला रणदिवे ने 14 सितम्बर 89 और उसके बाद कोटा में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे सत्ता पक्ष और साम्प्रदायिक संगठनों की सांठगांठ और बाकायदा सोची समझी राजनीतिक चाल बताया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में साम्प्रदायिकता के बढ़ते जहर के खतरे के प्रति अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि सांप्रदायिकता देश, जाति, धर्म समाज और सभ्यता सभी के माथे पर कलंक है और किसी भी प्रकार किसी भी स्तर पर इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। साम्प्रदायिकता की फैलती विकराल आग यदि समय रहते बुझाई नहीं गयी तो पूरी इन्सानियत का ही खात्मा हो जायेगा। उन्होंने इस साम्प्रदायिक उन्माद को फूट डाल वाली प्रतिक्रिया वादी राजनीतिक साजिश बताया और इसे बेनकाब करने के लिए जनवादी ताकतों की फौलादी एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती रणदिवे ने आज समूचे भारत में निरन्तर फैलती जा रही साम्प्रदायिकता को कांग्रेस भाजपा की मिली जुली साजिश बताते हुए देश की अमनपसन्द जनता को इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संगठित होने का आह्वान किया।

संगठन की राजस्थान राज्य महामंत्री सुमित्रा चौपड़ा ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दंगे जो समूचे भारत को अपनी गिरफ्त में लगभग जकड़ चुके हैं, सत्ता पक्ष एवं भाजपा की चुनावी राजनीति का योजना बद्ध घृणित हथकन्डा है। राजस्थान के सन्दर्भ में मकराना, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा और मंडलगढ़ आदि स्थानों पर हुए दंगों के पीछे श्रीमती चोपड़ा ने प्रशासन और पुलिस की न केवल लापरवाहियों का पर्दाफास किया बल्कि स्पष्ट किया कि प्रशासन व पुलिस ने इन दंगों में भाजपा, आर०एस०एस० शिवसेना, बजरंग दल, विश्वहिन्दू परिषद और जमातेइस्लामी से साम्प्रदायिक सगठनों को भरपूर मदद करके इनके हौसले बुलन्द किया। आपने महिलाओं को साम्प्रदायिकता के खतरों से सावधान करते हुए एक जुट मुकाबले के लिए आगे आने का आह्वान किया।

सम्मेलन को जिला सचिव श्रीमती शमा मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीमती शकून बानो, कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण देवी श्रीमती शाह, श्रीमती चन्द्रकला पंचोली, विजय लक्ष्मी व्यास, सरला धर्मपाल एवं श्रीमती राजबाला चौधरी ने भी सम्बोधित किया।

सम्मेलन ने अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव में कोटा में हुए दंगों के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हुए दंगों में मृत लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सरकार से इन दंगों और व्यापक पैमाने पर हुई धन-जन हानि के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने ओर प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजे तथा अन्य आवश्यक सहायता की मांग की। प्रस्ताव में घंटाघर स्थित एकमात्र मुस्लिम मुसाफिर खाने को जो 14 सितम्बर 89 से अब तक पुलिस कब्जे में है, पुलिस कब्जे से मुक्त करके मुस्लिम समुदाय को वापस करने की मांग की गयी। प्रस्ताव में इसी अवसर पर आयोजित महिलाओं की रैली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए फैसला किया गया कि यदि प्रशासन ने जल्दी ही साम्प्रदाय की गतिविधियों पर सख्ती से रोक नहीं लगायी तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जायेगा और प्रशासन द्वारा उसे विफल करने

[शेष पृष्ठ 14 पर]

विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी महिलाओं का संघर्ष जारी है

राज्यों से आये विभिन्न रिपोर्ट यह दर्शाते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाओं का सबसे शोषित तबका संघर्ष की राह पर है। कई राज्यों में हस्ताक्षर अभियान, अधिकारियों से बातचीत, धरना और प्रदर्शन हुए जिससे अपनी अमानवीय परिस्थितियों में सुधार करने की उनकी आकांक्षा प्रकट होती है।

पांडिचेरी

पांडिचेरी राज्य कर्मचारी एसोसिएशन ने पांडिचेरी के विभिन्न केन्द्रों से 715 हस्ताक्षर जमाकर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को दिया। इस केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के लगभग सभी केन्द्रों से वर्करों और हेल्परों के 915 हस्ताक्षरों के बंधी-बंधायी मांग-पत्र की एक प्रति केन्द्रीय कार्यालय आई—इससे स्पष्ट होता है कि इस मांग पर सम्मेलन के अभियान करने का आह्वान कितने उत्साह से लिया गया है। मांग-पत्र के अनुसार, "हमारी मुफलिस मजदूरी, हमारे बच्चों की बुरी देखभाल, मातृत्व अवकाश और सुविधाओं की मनाहट, सी०डी०पी०ओ० भ्रष्टाचार और पुरुष कर्मचारियों द्वारा यौन शोषण आदि परिस्थितियां हैं, जिनके बीच सारे देश में आई०सी०डी०एस० योजना लागू की जा रही है। इतने कम वेतन पर कोई जिन्दा नहीं रह सकता। केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट 325/- की राशि भी नहीं दी जा रही···कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से 50 लाख औरतें बेरोजगार पुस्तिका में दर्ज हैं।" ज्ञापन ने तब आंगनवाड़ी महिलाओं की विशिष्ट मांगों को रेखांकित किया और आशा प्रकट की कि उन्हें बिना विलंब के मान लिया जायेगा।

सहारनपुर

सहारनपुर की रिपोर्ट के अनुसार समिति की अध्यक्षा ने आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों पर एक मांग-पत्र संबद्ध अधिकारियों को भेजा। दस दिनों बाद भी सहारनपुर जिला अधिकारी से कोई उत्तर नहीं मिला है। 25 अक्टूबर 1989 के पत्र में समिति ने मातृत्व सुविधाएं, प्रोन्नति, पोषाहार, केन्द्रों की जरूरतें, पारिश्रमिक की नियमित अदायगी आदि के संबंध में कुछ सलाह दिये थे। अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के जवाब में समिति ने 3.11.89 को धरने पर बैठना तय किया। इसने अधिकारियों को धमकी भी दी कि यदि उनके ज्ञापन पर विचार नहीं होगा तो अनिश्चित भूख-हड़ताल पर जाएगी। ज्ञापन पर सहारनपुर के करीब 200 वर्कर और हेल्परों ने हस्ताक्षर किए।

3 अक्टूबर को सहारनपुर के हजारों वर्करों हेल्परों ने कर्मचारियों को नियमित करने, बाकी का भुगतान करने और पोषाहार वस्तुओं के उचित वितरण आदि मांगों को लेकर सहारनपुर मुख्यालय पर बेहतरीन धरने का आयोजन किया। महिला विकास समिति की अध्यक्षा सरला वर्मा ने अधिकारियों से मिलनेवाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई परियोजनाओं में कार्यरत 266 महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन अक्टूबर में प्रधान मंत्री को दिया गया। मांगें थीं: आंगनवाड़ी महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वीकार किये जाएं, वर्करों और हेल्परों को क्रमशः 600/- और 400/- वेतन दिया जाए, इसके अतिरिक्त 3 महीने का मातृत्व अवकाश, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि की मांगें। परियोजना समिति में यूनियन के एक सदस्य के प्रतिनिधित्व की भी मांग की गई। ज्ञापन ने सरकार से आग्रह किया कि वह वर्करों की अमानवीय प्ररिस्थितियों और मुश्किलों को समझे और उनकी उचित मांगों को शीघ्र से शीघ्र हल करें।

आंगनवाड़ी महिला कामगारों का व्यापक धरनों, प्रदर्शनों घेरावों, रैलियों का आयोजन

उदयपुर

आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन की ओर से सचिव बिरधी लाल छानवाल ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिले की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत धरनों, प्रदर्शनों, रैलियों आदि के आयोजन रखे जिसमें स्थानीय समस्याओं को हल करवा पाये अनैतिक व गैर कानूनी दबावों, अभद्र व्यवहार आदि के प्रति जबरदस्त रोष व्यक्त किया गया, विगत 4 अक्टूबर को धरियावाद परियोजना में जुलाई 88 से दिसम्बर 88 का रुका हुआ वेतन को लेकर प्रदर्शन व रैली का आयोजन रखा जिसमें 400 की संख्या में से करीब 300 ने भाग लिया। गली-गली में नारों के साथ रैली निकाली गयी तत्पश्चात परियोजनाधिकारी को बाहर बुलाया गया। 15 दिन के अन्दर-अन्दर सभी का भुगतान करवा देने को आश्वासन दिया गया जो वेतन 18 अक्टूबर को भुगतान भी कर दिया गया है।

इसी प्रकार 12 अक्टूबर को सलूम्बर परियोजना में भी गली-गली में रैली का आयोजन रखा तत्पश्चात आम सभा सम्पन्न हुई इस रैली के दबावों का इतना व्यापक असर रहा जिससे पूरे ओफिस में अधिकारी से लगाकर बाबू, चपरासी सभी के सब ओफिस छोड़ कर भाग गए।

सलूम्बर परियोजना के बाद 16 अक्टूबर को राजसमन्द परियोजना पर प्रात: 10 बजे से एक धरने का आयोजन रखा जिसमें दिनभर गगनभेदी नारों का, भाषणों का कार्यक्रम रखा। अधिकारी के जानबूझकर भाग जाने की वजह से सभी में जबरदस्त जोश फैल गया। परिणामस्वरूप सभी ने ओफिस के बाकी स्टाफ को 6 बजे तक घेराव किए रखा। बाद में एस. डी. एम. राजसमन्द का ज्ञापन दिया गया।

इसके उपरान्त 19 अक्टूबर को सराड़ा परियोजना में प्रदर्शन का आयोजन रखा जिसमें गली-गली में रैली का आयोजन रखा, तत्पश्चात परियोजना के मुख्यालय के सामने आमसभा का आयोजन रहा जिसमें सभी ने केन्द्रिय मांगों के साथ स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश डाला तत्पश्चात प्रतिनिधिमण्डल परियोजनाधिकारी से मिला। पूरी मांगें शान्ति से सुनी गयी व सुधार पोषाहार, वेतन, लकड़ी के बिल समय पर भुगतान का पूर्ण आश्वासन दिया।

उपर्युक्त चारों परियोजनाओं में केन्द्रिय मांगों के साथ स्थानीय मांगों पर भी दबाव डाला गया जिसमें मुख्य रूप से 1 जुलाई 86 का सरकूलर जिसके 5 साल पूरे होने के बाद 25 रुपये की बढ़ोतरी व 10 साल के बाद 50 रुपये की बढोतरी को लागू करवाने का व एरियर भुगतान की मुख्य मांग थी। याद रहे यह अभी तक भी नहीं बढाया गया था, प्रदर्शन रैलियों के आयोजनों के उपरान्त 25 रुपये की बढोतरी व ऐरियर सहित सराड़ा, सलूम्बर, राजसमन्द में 1 एक महीने के अन्दर-अन्दर देने के आश्वासन दिए गए और इसका प्रचार-प्रसार व्यापक स्तर पर किया गया जिससे आस-पास के जिलों में भी जबरदस्त यूनियन की हलचल बनी है।

उक्त आयोजनों के उपरान्त जिला कमेटी की ओर से 22 व 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उदयपुर में रखा जिसमें कामरेड मधु सेठिया को भाग लेना था वे अचानक अन्य कामों की व्यस्तता की वजह से भाग नहीं ले सकीं जिसमें 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी में प्रस्ताव पारित कर यूनियन के रजिस्ट्रेशन, झण्डे का रंग साइज आदि के फैसले लिए गए।

इसी प्रशिक्षण शिविर के दौरान, जिसमें पूरे जिला कमेटी को ही खबर मिली कि धरियावद परियोजना यूनियन की अध्यक्षा कामरेड माँगी बाई चौधरी को नौकरी से निष्कासन का नोटिस दे दिया गया, सभी वहीं से जुलूस बनाकर नारों के साथ उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे खबर सुनकर उपनिदेशक ओफिस छोड़कर भाग गया। दिनभर 10 से 5 बजे तक कार्यालय का कामकाज पूर्ण ठप्प कर दिया गया 5 बजे उपरांत ओफिस एसिस्टेण्ट को पकड़ कर अधिकारी से मिलने गए 6 बजे कलक्ट्री में मिलने पर वहीं जमके नारेबाजी हुए जबरदस्त डरा हुआ अधिकारी ने केवल जिलाध्यक्ष कामरेड पुष्पा शर्मा, सचिव बी०एल० छानवाल कोषाध्यक्ष जमील अन्दाज से इतना वादा कर आपकी सभी समस्याओं को दो दिन बाद मिलकर सलटने कर दूंगा अभी मैं बिमार हूं, प्रतिनिधि मण्डल ने दो दिन की मोहलत में सभी समस्या निपटाने के वादे के साथ खत्म किया।

याद रहे—चार महीने से चल रहे लगातार आंदोलनों के दौरान में उपनिदेशक ओफिस व निदेशक से मिलने का यह पहला अवसर था जो पूरी कमेटी ने हमेशा के लिए जबरदस्त रूप से दबाव डालकर फिर समस्याओं के समाधान नहीं तो आंदोलनात्मक धमकी के साथ सभी के प्रशिक्षण शिविर के मनोबल को मजबूती से अपने-अपने इलाकों में सभी वापस गयी।

विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति आयु बढ़ाकर 58 वर्ष की गई

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत 2000 विमान परिचारिकाओं द्वारा आयोजित देश व्यापी संघर्ष, रिटायरमेंट आयु को 35 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने में, सफल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नई उद्घोषणा के मुताबिक शादी से संबद्ध अपमानजनक धारा भी हटा दी गई है।

शिव सेना द्वारा नियंत्रित केबिन क्रू एसोसियेशन, जिसने विमान परिचारिकाओं की मांगों का विरोध किया था, ने अब प्रधानमंत्री की समझदारी की सराहना करते हुए एक वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य का उद्देश्य था एयर इंडिया एयरहोस्टेसेज एसोसिएशन एवं एयर कॉरपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन के द्वारा चलाई गई लंबी लड़ाई से मजदूर वर्ग का ध्यान हटाना।

विमान परिचारिकाओं के खिलाफ भेदभाव हटाने की मांग करते हुए, पिछले साल 750 परिचारिकाओं ने संसद में आवेदन किए थे। बिभा गोस्वामी ने आवेदन को लोकसभा के पटल पर रखा। राज्य सभा में मामला उठाया कनक मुखर्जी, दीपेन घोष, सुकोमल सेन और सरोजिनी महिषी ने और उपाध्यक्ष को भी घोषणा करनी पड़ी कि सदन इंडियन एयरलान्इस और एयर इंडिया में यौन-भेदभाव के खिलाफ है।

हालांकि पुरुष उड़ान संचालकों की सेवा-निवृत्ति आयु 58 वर्ष थी, विमान परिचारिकाओं को 35 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होना पड़ता था—दीगर बात है कि हरेक वर्ष की मेडिकल जांच के आधार पर यह आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष की जा सकती थी। परिचारिका केबिन सर्विसों की प्रधान नहीं हो सकती और उसे पर्याप्त प्रोन्नति के अवसर भी नहीं दिये जाते। एयर इंडिया में गर्भवती परिचारिकाओं को उड़ान का कार्य नहीं दिया जाता अभी उन्हें बेकार रहना पड़ता है। मातृत्व सुविधा के नाम पर उसे मात्र तीन महीने का वेतन मिलता है। हालांकि उसे 1 साल तक ड्यूटी के बाहर रहना होता है।

बंबई में एयर इंडिया प्रबंधन से साठगांठ करके शिव-सेना के गुंडों ने एयर इंडिया होस्टेसेज एसोसिएशन के ऑफिस पर, बाहरी तत्वों को वर्जित क्षेत्र में लाकर कब्जा कर लिया। परिचारिकाओं को शिवसेना ने संसद में हस्ताक्षरित आवेदन भेजने पर धमकियां भी दीं।

सभी दलों के करीब 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया जिसमें परिचारिकाओं के खिलाफ यौन-भेदभाव की समाप्ति की मांग थी। एयर इंडिया एयर होस्टेसेज एसोसिएशन की सचिव रूहीन खम्बाटा के साथ एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला जिन्होंने उनकी मांगों पर विचार करने की सहमति दी।

इसी बीच संसद की पेटीशन कमेटी ने परिचारिकाओं के खिलाफ यौन-भेदभाव का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट जमा किया और उनकी उम्रसीमा को बढ़ाने तथा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हटाने की अनुशंसा की।

बेगैरत एयर इंडिया मैनेजमेंट ने 5 लंदन अवस्थित परिचारिकाओं की सेवाएं समाप्त कर दीं उनसे मुआवजे स्वीकार करवा के। लेकिन, जापानी परिचारिकाओं ने एयर इंडिया की नीतियों का कड़ा विरोध किया तथा एयर इंडिया मैनेजमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी। जापान फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन वर्कर्स यूनियनस ने परिचारिकाओं के संघर्ष को समर्थन दिया और सीटू के सहयोग से मामले को जीतने में एक कसर न छोड़ी।

परिचारिकाओं ने 10 नवंबर को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के आवास के समक्ष एक दिवसीय धरना की तैयारी कर रही थीं।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव एयर इंडिया होस्टेसेज एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें उनके प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार की ओर से आश्वासन देने वाले थे।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने 17 अक्तूबर को एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी की जिसके अनुसार परिचारिकाओं की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 58 वर्ष की गई।

यह यौन-भेदभाव के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ती

परिचारिकाओं की एक महान विजय है। उपलब्धि और भी ज़ोरदार होती यदि सरकार ने शारीरिक चुस्ती की पूर्वशर्त को भी हटा लिया होता। मेडिकल फिटनेस के मामले में पुरुष और महिला के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शादीशुदा औरतों के परिचारिका बनने पर लगी पाबंदी भी भेदपरक है और तुरन्त उठा ली जानी चाहिए।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स की मैनेजमेंट प्रोन्नति और दूसरी सुविधाओं के मामले में अभी भी भेद-परक नीतियां अपनाये हुई हैं। इन सबको हटाने के बाद ही उस अमानवीय यौन-भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा।

दो साल पहले इसी भेदभाव के चलते लीमा खान और अन्य परिचारिकाओं को रिटायर होना पड़ा था—एयर इंडिया को उन्हें वापस लेना चाहिए।

एक लंबी लड़ाई के द्वारा ही परिचारिकाएं यौन-भेद का पूर्णतया मिटाने में सफल हो सकती हैं। उन्हें सच्चे यूनियनों को मजबूत बनाकर उनके माध्यम से पूर्ण विजय हासिल करने तक संघर्ष करना चाहिए। उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में सीटू हमेशा साथ देगा। सीटू उड़ान संचालकों से भी अपील करता है कि वे संकीर्णतावाद का त्याग करें और परिचारिकाओं की उचित मांगों को समर्थन दें।

जापानी परिचारिकाओं ने सीटू संघर्ष कोष में 1000 रु० प्रदान किए

जापान की दो एयर होस्टेसों सुश्री मसामी ओहता की और सुश्री मिशिको मोशिज़ुकी ने सीटू संघर्ष कोष को, एयर इंडिया द्वारा किये जा रहे यौन-भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष को सीटू के समर्थन की सराहना के प्रतीक के रूप में, 1000 रुपये दिये। 20 अक्टूबर को सीटू ऑफिस में आई सुश्री ओहताकी ने जपेनीज़ फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन वर्कर्स यूनियन्स की ओर से सीटू का अभिवादन किया।

ऑल इंडिया को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वीमेन (सीटू) परिचारिकाओं को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देती है।

आई०सी०डी०एस० कर्मचारी की न्याय के लिए गुहार

[निम्नलिखित पत्र मोरेना (मध्य प्रदेश) की श्रीमति मुन्नी देवी की अपील पर कामरेड समर मुखर्जी द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को लिखा गया था। तमाम प्रयासों के बावजूद, संबद्ध अधिकारियों को दिए गए आवेदनों का फल शून्य रहा। उसने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री निवास पर उनसे मिलकर एक ज्ञापन दिया—इस आशा में कि कितने सालों से उसका रुका बकाया वेतन मिल सकेगा—**संपादक**]

18.10.89

माननीय श्री गांधी

पी०एच०सी० नूराबाद (रिठौड़ा), मोरेना, मध्यप्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य सेविका की अपील, प्रेस सुर्खियों के साथ यहां संलग्न है। इन दस्तावेजों से प्रकट होता है कि किस तरह एक महिला कार्यकर्ता, महिलाओं के प्रति उचित व्यवहार की आपकी उद्घोषणा के बावजूद, प्रशासन के दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार हो रही है। यह महिला कार्यकर्ता उत्पीड़न, बेइज्जती को झेल रही है, वर्षों से वेतन नहीं पा रही है, मात्र इसलिए कि उसने भ्रष्ट अधि-कारियों की अनैतिक चेष्टाओं के आगे न झुकते हुए उनसे लड़ने की 'जुर्रत' दिखाई।

आपको ऐसे मौके पर अवश्य हस्तक्षेप कर श्रीमति मुन्नी देवी को न्याय दिलाने और दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अभिवादन के साथ

आपका विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
समर मुखर्जी

उजान मैदान की बलत्कृत महिलाओं को न्याय का इंतजार है

आॅल इण्डिया डेमोक्रैटिक वीमेंस एसोसिएशन और श्रीमति विमल रणदिवे की ओर से 31 मई 1988 और 1 जून 1988 के बीच की अवधि में उजान मैदान में, रिपोर्टों के अनुसार, असम राइफल्स के जवानों द्वारा 13 महिलाओं के बलात्कार की जांच के लिये त्रिपुरा सरकार को सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के लिये याचिका दायर की गई। याचिका में एक प्रार्थना थी बलात्कार की शिकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की। आॅल इण्डिया डेमोक्रैटिक वीमेंस एसोसिएशन की सदस्यों ने उजान मैदान में जाकर, बलत्कृत औरतों से बात कर घटना की जांच करके याचिका दायर की। सबूत कानून में संशोधन के बाद, उन औरतों द्वारा खुबई के सब डिवीजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये एफिडेविट ही बलात्कार का केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त थे। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और जवाब में सरकार ने एक काउंटर एफिडेविट जारी कर दिया—यह आरोप लगाते हुए कि याचिका के पीछे राजनीतिक बदनीयती है और "यह मानते हुए भी कि घटनाएं सत्य हैं, पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं, जबकि राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यों को जानबूझकर दबा दिया गया है।" यह आरोप भी लगाया गया त्रिपुरा में अपने प्रशासन काल के दौरान सी. पी. आई. (एम.) ने विभिन्न जातिगत समुदायों को आपस में लड़वाकर सामुदायिक वैमनस्य का माहौल बनाया। एफिडेविट में आगे कहा गया कि राज्य सरकार ने तीन अलग जांच के निर्देश दिए हैं—एक एस. पी. के द्वारा, जो 4 जून 1988 को सब डिवीजनल आॅफिसर सुश्री उषा के साथ खुबई गए थे। एस. पी. और सुश्री उषा की जांच की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं ने मेडिकल जांच कराने से इन्कार कर दिया—उसी साँस में रिपोर्ट यह भी कहता है कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। "बलात्कार के आरोपों के सबूत नहीं है।" की अभ्युक्ति के साथ रिपोर्ट खत्म होता है।

दूसरी जांच की राज्य सरकार की एक तथ्य खोजी समिति ने जिसके सदस्य थे जिला मजिस्ट्रेट, सुश्री उषा, श्री राजेन्द्र जीत देब्बारगा और असम राइफल्स के एस. आर. रैना। यह तथ्य खोजी समिति 13.6.1988 को छः महिलाओं से बातचीत करने चंपाकर तहसील नहीं पहुंची। समिति का निष्कर्ष था कि सामूहिक बलात्कार निराधार था, लेकिन राधिका देब्बारगा के बलात्कार संभवतः हुआ था और दो लड़कियों की भी इज्जत से शायद खेला गया था। तीसरी जांच का आदेश पुलिस महानिदेशक ने दिया था—और इसके तहत एस. पी., सी. आई. डी. को मामला देखने कहा गया। सी. आई. डी. ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं किया है।

मामला अंततः 24 अप्रैल 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने सुना जब त्रिपुरा सरकार के वकील ने वक्तव्य दिया कि सारी पीड़ितों को आर्थिक अनुदान दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से इस वक्तव्य की शपथ लेते हुए एक एफिडेविट दर्ज करने को कहा। उसके बाद अंतिम तौर पर मामले की सुनवाई के निर्देश थे।

अंतिम सुनवाई के लिए मामला जब 26 सितम्बर, 1989 को लाया गया, तो त्रिपुरा सरकार के वकील ने यह कहते हुए शुरूआत की कि कांग्रेस (इ) और टी. यू. जे. एस. गठबंधन का त्रिपुरा विधान सभा में छोटा बहुमत है, अतः उसे संतुलन को तोड़कर सत्ता पार्टी को हटाने की साजिश है यह मामला।

फिर भी, कोर्ट याचिका दायर करने वालों के तर्कों को सुनने के बाद विश्वास हुआ कि जांच होनी ही चाहिए और त्रिपुरा सरकार के वकील को भी ऐसी जांच के प्रति सहमत होना चाहिए। अब इस जांच को चलाने के लिए एक उच्च न्यायालय के जज को नियुक्त करने का प्रश्न था। भारत सरकार के वकील ने, जो इस दिशा में निर्देश देने वाले थे, कुछ वक्त मांगा और उनकी विनती पर मामला 4 अक्टूबर 1989 तक टल गया। 4 अक्टूबर 1989 को भारत सरकार के वकील ने और कुछ वक्त मांगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला था। और अब मामला 9 नवंबर 1989 तक के लिए लटक गया है।

उजान मैदान की आदिवासी महिलाओं को कब तक न्याय का इन्तजार करना होगा ?

ऑडिट और एकाउन्ट की महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन

ऑल इन्डिया ऑडिट एण्ड एकाउन्ट्स एसोसिएशन और इससे संबंद्ध मद्रास सिविल ऑडिट एण्ड एकाउन्ट्स एसोसिएशन ने पहली बार आइ० ए० और ए० डी० की महिलाओं का सम्मेलन, लेखा कर्मचारियों के मद्रास में हुए 39 वें सम्मेलन में, आयोजित करने की पहल की। हालांकि एक महीने से कम का ही समय उनके पास था, महिला कर्मचारियों ने 27-9-89 के सम्मेलन में उत्साह-वर्द्धक शिरकत की।

मद्रास ए. जी. ऑफिस के 200 और केरल, बंबई, राजकोट, शिलांग, जयपुर, इम्फाल और नागपुर के डाक तार लेखा की 11प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा देश के अनेक हिस्सों से पुरुष प्रतिनिधि आए थे। महासचिव एस. एम. ए. जिन्ना ने सम्मेलन को आयोजित करने के एसोसिएशन के उद्देश्यों से अवगत कराया और एसोसिएशन को निर्देश और मदद देने का आश्वासन दिया। एम. सी. सी. ए. के उपाध्यक्ष कामरेड जय शंकरन ने सभापति की हैसियत से सभा-संचालन किया। केरल ए. जी. ऑफिस के कामरेड टी० सधामनी ने आइ. ए. और ए. डी. की महिलाओं को आगे आकर एसोसिएशन के परचम के तले एकजुट होने की जरूरत पर बल दिया और बहस के लिए घोषणा का मसविदा पढ़ा।

एड्वा मद्रास जिला कमेटी की सहायक सचिव कामरेड मंगाई ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए साफ शब्दों में महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताया; किस तरह एकजुटता और संगठन में भाग लेना पाप नहीं बल्कि अनिवार्य जरूरत है, भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, श्रमिक वर्ग पर काम का बोझ बढ़ रहा है; इन नीतियों के विरोध में एकजुट विरोध लामबंद करने में महिलाओं की क्या भूमिका है, आदि। उन्होंने एड्वा के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। महिला आंदोलनों के हर पहलू को छूती हुई उनकी बात सबसे उत्साह-जनक थी।

पोस्टमैन यूनियन के महासचिव कामरेड आदिनारायण ने कामकाजी महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे दिल्ली सीटू द्वारा आयोजित ऐतिहासिक सात-दिवसीय हड़ताल के बाद दिल्ली राज्य इकाई द्वारा आयोजित एक सभा में सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे को सुनने का मौका मिला। यह हड़ताल न्यूनतम पारिश्रमिक की मांग को लेकर की गई थी। दिल्ली के नेताओं ने जनवादी महिला समिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ज. म. स. की नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं ने दिल्ली पुलिस की लाठियां खाईं, कुछ को कैद करके जेल भेज दिया गया और वहां भी पीटा गया। दिल्ली सीटू की शुरुआत की तारीफ करते हुए कामरेड बी. टी. आर. ने उन्हें कहा "ज. म. स. के कार्यकर्त्ताओं को लाठी और जेल के दरवाजे की ओर ढकेल दिया गया था, पर कितनी महिला कार्यकर्त्ताएँ सीटू में ऊँचे ओहदों पर काम करने की स्थिति में हैं ? कामरेड बी. टी. आर. ने कर्नाटक की एक घटना का भी जिक्र किया, जहां पुरुष वक्ताओं के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं, पर महिलाएँ मात्र पांच मिनट तक बोल सकती थीं।

कामरेड आदि ने कहा कि सभी जगहों पर नेतृत्व शत-प्रतिशत पुरुषों के हाथ में था। पर अब बदलाव आया है। पोस्टमैन यूनियन में श्रीमति सुमित्रा गोस्वामी इसकी सहायक महासचिव हैं और पूरे पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं को डाक यूनियनों के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की महासचिव की हैसियत से काम कर रहीं श्रीमति गीता भट्टाचार्जी प्रेरित कर रही हैं।

आखिर में, उन्होंने महिलाओं को काम के अधिकार और रोजगार सुरक्षा के मोर्चे पर और सक्रिय होने की अपील की, रोजगार खत्म करने वाले तमाम उपायों जैसे कंप्यूटरीकरण, निजीकरण आदि के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कांफ्रेंस में पर्याप्त महिला प्रतिनिधि देने की अपील और डाक कर्मचारियों के समर्थन के साथ अपना भाषण समाप्त किया।

केरल इकाई की प्रतिनिधि कामरेड गिरिजाबाई ने महिला कन्वेंशन के आयोजन में ऑल इंडिया एसोसिएशन के किए गए प्रयासों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सम्मेलन से इन मांगों को भी राष्ट्रीय मांग-पत्र में सन्निहित करने की अपील की—क्रेश, हॉस्टल, यातायात सुविधाएँ, मातृत्व सुविधाएँ आदि।

मद्रास ए. जी. कार्यालय की कामरेड सुसैन जैकब ने भारत बंद की पूर्व संध्या पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर कंवेंशन को एक निंदा-प्रस्ताव पास करने की इच्छा जाहिर की। इन निर्देशों में महिलाओं को रात में ठहरने का आदेश भी था। उन्होंने रिहायशी इलाकों में केन्द्रीय विद्यालय और पालना सुविधाएँ आदि की जरूरतों पर बल दिया और घोषणा का समर्थन किया।

मणिपुर ए.जी. ऑफिस की कामरेड एस० गोमति देवी ने सलाह दी कि महिला मंच बनें, हर ऑफिस में स्वास्थ्य सुधार योजना, बाल कल्याण-नर्सरी सुविधाएँ हों; उपभोक्ता मंचों के द्वारा आवश्यक वस्तु की आपूर्ति, मातृत्व अवकाश पर लगाई गई सीमाएँ हटाई जाएँ, उन्होंने कंवेंशन को आयोजित करने के लिए ऑल इण्डिया और मद्रास एसोसियेशन की सराहना की।

राजकोट ए. जी. ऑफिस की रोहिणी बख्शी और इला किकामी ने कहा कि कन्वेंशन ने उनकी विचार दृष्टि को स्पष्ट किया है, और घोषणा को हार्दिक समर्थन दिया।

शिलांग ए.जी. ऑफिस की कामरेड क्रिस्टिना वजिनी ने कहा कि मेघालय के आदिवासी-इलाके से होने के कारण वह एसोसियेशन के प्रयास को समझ-सराह सकती है। उन्होंने महिला कर्मचारियों से कामकाजी महिलाओं को लामबंद करने में अग्रिम भूमिका अदा करने की अपील की ताकि वे मजदूर वर्ग आंदोलन में हाथ बँटा सकें और महिलाओं के हितों की रक्षा कर सकें। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की ओर से सहयोग और अभिनंदन व्यक्त किया।

इन प्रतिनिधियों के अलावा कामरेड एस. सिंधी, (डाक तार लेखा नागपुर) सरोज शर्मा (ए.जी., जयपुर), कामरेड प्रभा देवी (ए. जी., मणिपुर), कामरेड वी. ए. गायक वाड़ और एस. डी. वासवानी (ए. जी. बम्बई) और कामरेड के० के० जानकी (ए. जी. मद्रास) ने आइ. ए. और ए. डी. में महिलाओं को लामबंद करने की दिशा में काम करने की इच्छा जाहिर की।

सम्मेलन ने एकमत से घोषणा को अंगीकार किया। इसने भारत बंद की पूर्व संध्या पर महिलाओं को ऑफिसों में रात भर रहने के केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर एक निंदा-प्रस्ताव भी पास किया।

ऑल इण्डिया ऑडिट और एकाउन्ट्स एसोसियेशन के सम्मेलन ने कन्वेंशन की सलाह कि एसोसियेशन के बैनर के तले अखिल भारतीय स्तर पर महिला उप-समिति बनाई जाए—को भी स्वीकार किया।

मद्रास में 27 सितंबर, 1989 को हुए ऑल इन्डिया ऑडिट और एकाउन्ट्स कर्मचारियों के कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत मांगों का चार्टर :—

1. महिलाओं पर अत्याचार बंद करो।
2. मूल्य वृद्धि रोको अनिवार्य वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए जन-वितरण प्रणाली को मजबूत करो।
3. महिलाओं सहित सब को रोजगार दिये जाएँ।
4. सावैधानिक अधिकार और परवार न्यायालय के साथ महिला कमीशन की नियुक्ति, जो महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच करें और दोषियों को सजा दे।
5. नर्सरी, पलनाघर की शुरूआत की जाय। हरेक संस्था में माता, शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हों।
6. रोजगार के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभाव न अपनाया जाए, महिलाओं को रोजगार-सुरक्षा प्रदान की जाय।
7. महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल सुविधाएँ दी जाएँ।
8. कार्यस्थानों पर महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों के लिए तथा विश्राम करने के लिए सुविधाएँ दी जाएँ।
9. यात्रा ड्यूटी पर महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध हो।
10. वाई. डब्ल्यू. सी. ए. आदि महिला हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं को उच्चतर दर पर डी. ए., जब वे यात्रा-ड्यूटी पर हों, दिये जाएँ।

11. मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 6 महीने की जाए। मां या नवजात शिशु की बीमारी की स्थिति में 1 साल तक की अतिरिक्त सवेतन छुट्टी दी जाय।
12. दो बच्चों वाली माताओं को भी मेडिकल छुट्टियां दी जाएँ।
13. पत्नी के प्रसव-काल में पुरुष कर्मचारियों को पूरे वेतन के साथ एक सप्ताह की विशेष छुट्टी का प्रावधान हो।
14. प्रसव-खर्चों और निःशुल्क नर्सिंग के लिए महिला कर्मचारियों को एक महीने का वेतन दिया जाय।
15. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती माताओं को रात्रि या यात्रा ड्यूटी नहीं दी जाय। ऐसे समय में उन्हें हल्के कार्य दिए जाएँ।
16. दूध पिलाती माताओं की कार्यावधि में एक घंटे की कमी की जाय।
17. उचित दरों पर चीजें मुहैय्या कराने के लिये कार्य-स्थानों पर कैंटीन और स्टोर सुविधायें दी जायें।
18. सभी वर्दीधारी महिला कर्मचारियों को एक साल में दो अच्छे टेरीकॉट की वर्दियां दी जाएँ।
19. महिला कर्मचारियों की यात्रा-सुविधाएँ बढ़ायीं जायें। भीड़ भरे वक्तों में महिलाओं के लिये विशेष बसें अनुबंधित हों। रात में सरकारी कार्य करने वाली महिलाओं को विशेष वाहन सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
20. बस और रेलवे स्टेशनों पर महिला गार्डों की नियुक्ति की जाय।
21. रेलों में पर्याप्त संख्या में महिला-कूपे दिये जाएँ। सभी महिला कूपों में महिला पुलिस कांस्टेबल दी जाएँ।
22. केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों पर आधे घंटे का लादा गया अतिरिक्त बोझ महिलाओं के लिये काफी असु-विधाजनक है। अंधेरा हो जाने के बाद उनके लिये बसों आदि में सफर करना काफी मुश्किल होता है।

आंगनवाड़ी महिलाओं को धमकी की निन्दा

सचिव विमल रणदिवे द्वारा जारी निम्नलिखित वक्तव्य 20.10.89 को आई०सी०डी०एस० कार्यकर्मियों को दी गई धमकी की निंदा की गई है—

डिप्टी डॉयरेक्टर आंगनवाड़ी केन्द्रों के कैशियर श्री जे०पी० जैन सहित आई०सी०डी०एस० अफसरों की, 14 अक्टूबर को हुए यूनियन सम्मेलन में, वर्कर्स और हेल्परों को भाग लेने से रोकने की हरकतों की ऑल इंडिया को ऑर्डिनेशन कमेटी फॉर वर्किंग वीमेन, (सीटू) निंदा करती है। डिप्टी डायरेक्टर खुद कई केंद्रों पर गए और जन-धमकियां दीं कि यदि वर्कर सम्मेलन में जाएंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। कांग्रेस सेवादल महिलाओं ने भी एक अधिसूचना जारी की कि वर्करों को सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना है। इतना ही नहीं, डिप्टी डायरेक्टर और दूसरे अफसरों की जीप उस हॉल के बाहर इन्तजार करती रही जहां सम्मेलन होने वाला था। जब विभिन्न केन्द्रों पर अपना काम खत्म कर महिलाएं आने लगीं तो डिप्टी डायरेक्टर ने उन्हें रोका और निलंबन, नौकरी खत्म कर देने, वेतन रोक देने आदि की धमकियां दीं। मंजु गुप्ता, शशिकला, स्नेहलता शर्मा तथा कई अन्य से सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जवाब तलबी की गई।

सीटू और ए०आई० सी०सी०डब्ल्यू०डब्ल्यू० अधि-कारियों की इन कार्रवाइयों की निंदा करती है क्योंकि आंगनवाड़ी महिलाओं को अपनी इच्छानुसार यूनियन बनाने का पूरा हक है। डिप्टी डायरेक्टर की धमकियों के बावजूद सम्मेलन में हिस्सा लेने अपना यूनियन बनाने के लिए वर्करों और हेल्परों और दूसरों को सीटू बधाई देती है। यूनियन के माध्यम से वर्करों और हेल्परों के लिए क्रमशः 800/- और 400/- की वेतन वृद्धि तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हैसियत की मांग के लिए भी वे साधुवाद की पात्र हैं।

[पृष्ठ 6 का शेष]

की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सफल बनाया जायेगा।

सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व एक दस सदस्यीय महिला प्रतिनिधि मण्डल ने दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया जिसमें श्रीमती विमला रणदिवे, सुमित्रा चोपड़ा के अलावा चन्द्रा स्वामी जोगनी, और शमा मिश्रा भी शामिल थी।

सम्मेलन के बाद विमला रणदिवे और सुमित्रा चोपड़ा ने जिला इकाई द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोटा और देश भर में साम्प्रदायिक दंगे सत्तापक्ष और प्रतिक्रियावादी धर्मोन्मा-दियों द्वारा भड़काये जा रहे हैं ताकि वे इस माध्यम से अपने 'वोट बैंक' को सम्पन्न बना सकें।

रावतभाटा जनवादी महिला समिति का सम्मेलन

□ सा० सुमन

रावत भाटा (राजस्थान) में, दिनांक 17.10.1989 को जनवादी महिला समिति की रावतभाटा इकाई का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्‌घाटन ज० म० स० की राज्य सचिव, साथी सुमित्रा चोपड़ा ने किया।

साथी सुमित्रा चोपड़ा ने महिलाओं को देश-भर में तेजी से गोलबन्द होती जा रही मेहनतकश महिलाओं तथा तीव्रगति से बढ़ती जा रही ज० म० स० की ताकत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि आजादी के 42 साल बाद भी महिलाओं की हालत आज सबसे ज्यादा दयनीय है।

अशिक्षा व परिश्रम की स्थिति के चलते तथा पतनशील पूंजीवादी, सामंती व्यवस्था एवं मूल्यों के चलते नारी का हर तरह से शोषण हो रहा है। दहेज हत्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तथा आये दिन बलात्कार व छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा इसके अलावा नारी हत्या को सती के नाम पर धार्मिक मामला बताकर महिमामण्डित किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस आई की सरकार भी दोगला रवैया अपनाये हुए है। देश भर में शाहबानो केस को लेकर हुये व्यापक असंतोष व न्यायालय, दोनों का गला मुस्लिम महिला विधेयक के नाम पर राजीव सरकार ने वोटों की राजनीति के चलते धार्मिक तुष्टिकरण के लिए घोट दिया।

साथी सुमित्रा ने बढ़ती हुई महंगाई के दानव से लड़ने के लिए तथा आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए महिलाओं से एकजुट संघर्ष में उतरने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था द्वारा पैदा की गयी हर परेशानी के खिलाफ जूझ रहे मेहनतकश मजदूरों, किसानों नौजवानों, छात्रों तथा अन्य कर्मचारियों की लड़ाई भी हमारी ही लड़ाई है और उसमें ज० म० स० को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिये। उन्होंने पूंजीवादी भूस्वामी परस्त राजनैतिक पार्टियों तथा वामपन्थी जनवादी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों के बीच भेद स्पष्ट करते हुये बताया कि वामपंथी जनवादी धर्मनिपेक्ष पार्टियों और देश की विशाल मेहनतकश जनता ही देश की एकता-अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता और जनवाद की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (ई) की सरकार देश का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। कांग्रेस ने पंजाब समस्या को पैदा करने और पालने पोसने में मदद की है। और जब स्थिति बिगड़ चुकी है तो भी आम जनता तथा धर्मनिरपेक्षवादी विपक्ष की मदद से समस्या का राजनैतिक समाधान ढूंढने से कतरा रही है। कांग्रेस (ई) की केन्द्र सरकार का तमाम गैर कांग्रेस राज्य सरकारों के प्रति सौतेला व्यवहार और खास तौर पर सी० पी० आई० (एम) के नेतृत्व वाली सरकारों के प्रति उसका घिनौना व्यवहार लोकतंत्र की समाप्ति का संकेत है। त्रिपुरा में कांग्रस का विघटनकारी ताकतों से हाथ मिलाकर फौजी हस्तक्षेप के जरिये सत्ता हथियाना सी. पी. आइ. (एम) के नेताओं कार्यकर्ताओं की खुले आम योजनाबद्ध हत्या, विधानसभा तक में मारपीट तथा जनता पर बेमिसाल दमन, आदिवासी महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार की उसकी मुहिम ने कांग्रेस (ई) की सरकार को उखाड़ फेंकने तथा देश के हर कोने के उसके वर्चस्व को समाप्त कर देने की जरूरत को अपरिहार्य बना दिया है। यही नहीं कांग्रेस ने देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों गिरवी रख दिया है। उसने सी. आइ. ए. के द्वारा करवाये जा रहे विघटनकारी सशस्त्र षड्यन्त्र जो कि देश के सीमावर्ती राज्यों पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वांचल क्षेत्र में खतरनाक रूप धारण कर चुका है, से आंखें मूंद ली हैं। जबकि दूसरी ओर भाजपा, आर. एस. एस. विश्व हिन्दू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, जैसे हिन्दू संगठन साम्प्रदायिक तत्ववादी, संगठनों द्वारा रामजन्मभूमि के नाम पर देश को दंगों की आग में झोंक दिया है। और उसका फायदा दूसरे साम्प्रदायिक तत्ववादी जमाते इस्लामी, आदमसेना, आदि उठा रहे हैं। देश के सामने विघटन और लोकतंत्र की समाप्ति

का खतरा उपस्थित हो रहा है। ज. म. स. को इन बीमारियों से निपटने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता अखण्डता की रक्षा के लिये आगे आना होगा। हमें मूक दर्शक नहीं रहना है। आज की हालत में हमारे सामने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेदारी है जिसे हम हर हालत में निभायेंगे।

सम्मेलन में पांच प्रस्ताव पास किये गये जो निम्न प्रकार है :—

1. शोक प्रस्ताव, 2. राष्ट्रीय एकता अखण्डता-पर बढ़ते जा रहे खतरे व साम्प्रदायिक विस्फोट के खिलाफ 3. अशिक्षा व बेरोजगारी के विरुद्ध 4. महिलाओं के पिछड़ेपन व दमन के खिलाफ तथा 5. बेरोकटोक बढ़ती मंहगाई के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किये गये जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। अन्त में सम्मेलन में सत्रह सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसने सात पदाधिकारियों का चुनाव किया था चुने गये पदाधिकारी निम्न-प्रकार हैं—

1. का०	माया प्रभू	अध्यक्ष
2. "	सुशीला देवी	उपाध्यक्ष
3. "	कान्ता धुरन्धर	उपाध्यक्ष
4. "	सान्त्वना सुमन	सचिव
5. "	राजबाला चौधरी	सहसचिव
6. "	विजय लक्ष्मी व्यास	सहसचिव
7. "	सुष्मा ताम्हनकर	कोषाध्यक्ष

नामीबिया—एक राष्ट्र का जन्म

नामीबिया की स्वतंत्रता के पूर्व, अक्टूबर 1989 में हुए चुनावों में साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स आर्गेनाइजेशन (स्वापो) ने 41 सीटें लेकर आरामदेह बहुमत प्राप्त किया, पर जैसी कि नेताओं की आशाएं थीं, उसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। पहले स्वतंत्र संविधान को पास करने के लिए नामीबिया की एसेम्बली में दो-तिहाई बहुमत होना आवश्यक है। श्वेत समर्थित डी. टी. ए. (डेमोक्रेटिक टर्नहेल एलायंस) ने 72 सदस्यीय संविधान सभा में 21 सीटें लेकर दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशेष शिष्टमंडल स्वतंत्र और साफ-सुथरे चुनाव को अभिप्रमाणित करने पहुंचा था। सैम न्यूमा लोगों के नेता के रूप में उभरे और लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया।

"स्वापो की विजय मात्र स्वापो की ही ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है पूरे नामीबिया देश की है"—न्यूमा ने कहा, "चुनावों में कोई नहीं हारा क्योंकि नामीबिया ने चिर-प्रतीक्षित स्वनिर्धारण का अधिकार प्राप्त किया है ···"। स्वापो की विजय नामीबिआई लोगों की लंबी लड़ाई का फल है। स्वायों ने रंगभेदी तंत्र, दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन के खिलाफ 23 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ी। नामीबिया पहले जर्मनी का उपनिवेश था और फिर इस पर दक्षिण अफ्रीका ने कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के इस शासन के खिलाफ पुरुषों एवं महिलाओं-वीर जनता ने सशस्त्र संघर्ष किया। पूरे विश्व के जनवादी लोगों ने नामीबियाई जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष को समर्थन दिया।

नामीबिया में चुनाव की अवधि पांच महीने की थी और कुछ जगहों पर शत-प्रतिशत मतदान हुआ। आम दलित जनता की भावना थी कि वह रंगभेदी प्रशासन को सदा के लिए समाप्त कर रही है। डी. टी. ए. की ओर से धमकियां दी गई और धांधलियां हुई। कई जगहों पर तो अधिकारियों को इसके बारे सूचित करने के बाद भी वोट दिये जाते रहे। न्यूमा द्वारा संबोधित सभाओं में हजारों लोग आते थे, ये सभाएं डी. टी. ए. की गढ़ों में भी की जाती थीं। इन इलाकों के श्वेत स्वापो के समर्थन और उसके पक्ष में मतदान देखकर चकित थे। एक इलाके में न्यूमा का भाषण यादगार था। उन्होंने कहा, "मां नामीबिया—एक सुन्दर स्त्री एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हमें उसकी देखभाल करनी होगी, चूंकि सुरक्षित प्रसव के लिए विशेषज्ञ यहां नहीं हैं।"

कामरेड सैम न्यूमा एक छोटे रेलवे मजदूर की स्थिति से शुरुआत करके स्वापो के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे। चुनावों के बाद उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि, "आगे का काम आसान नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका पर अपनी निर्भरता तोड़ने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा।" न्यूमा को कई उपहार दिये गए। लेकिन एक

जगह उन्हें एक बड़ा घोड़ा दिया गया, क्योंकि उनकी स्थिति एक ऐसे योद्धा की रही थी, जो कई वर्षों तक भूमिगत रहके लड़ता रहा था।

रिपोर्ट है कि "अगले अप्रैल तक न्यूमा अपने उजले घोड़े पर सवार होकर अफ्रीका के अंतिम उपनिवेश के पहले राष्ट्रपति की हैसियत से विन्डहॉक के टिनटिन पैलेस तक जाएंगे।" नामीबियाई महिलाओं और पुरुषों को, जो दक्षिण अफ्रीका आतंक और रंगभेदी तंत्र के खिलाफ लड़े, व उनके भविष्य की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के संघर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

सुश्री मीरा साहब फातिमा बीवी को हमारी बधाई

ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का पद ग्रहण करने वाली केरल राज्य से आती हैं। लेकिन पछताने की बात तो यह है कि इस देश के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला जज की नियुक्ति में स्वतंत्रता के बाद 40 वर्ष लग गए। जैसा कि सुश्री मीरा साहिब फातिमा बीवी ने अपनी नियुक्ति पर कहा, न्याय विभाग में महिलाओं की प्रगति बहुत आसान नहीं है। महिला शिक्षा को उत्साहित करने के बावजूद महिला वकीलों का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है—1981 में यह पूरे का 2.5 प्रतिशत था। इस शताब्दी की शुरूआत तक महिलाओं को वकीली करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। 1923 में आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉर्नेलिया बनर्जी को कानूनी की प्रैक्टिस की इजाजत दी और इस तरह से महिलाओं को वकालत की अनुमति देने वाले विधान की शुरूआत हुई।

इस प्रावधान के बावजूद, 1959 के पहले किसी महिला को उच्च न्यायलय का जज नहीं बनाया गया। वे थीं केरल हाई कोर्ट की अन्ना चंडी—जब राज्य में पहली निर्वाचित सरकार ने शासन संभाला और जस्टिस वी० आर० कृष्णा अय्यर इसके कानून मंत्री हुए। 15 दिनों के बाद ही केरल हाई कोर्ट ने एक और महिला जज—सुश्री पी० जानकी अम्मा को नियुक्त किया।

1977 और 1978 के बीच पांच न्यायलयों में आठ महिलाएं जज नियुक्त की गई, जो एक दुःखद रूप से छोटी संख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज की प्रतीकात्मक उपस्थिति से बहुत ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है, संविधान के महिला-संबंधी कानूनों की संख्या से यह साफ होना चाहिए कि हरेक स्तर पर महिला जजों की निश्चित जरूरत है। आशा की जाती है कि सुश्री फातिमा बीवी की नियुक्ति इस दिशा में प्रगति को बढ़ावा देगी।

कामकाजी महिलाओं के सोफिया सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधि श्रीमति जे.एम. जैकसन का भाषण

"अमरीका में आजकल, संगठित श्रम आंदोलन में महिला श्रमिकों का वरी सबसे तेजी से पनपता हिस्सा है। पिछले दो दशकों में संपूर्ण मजदूर वर्ग की बेहतर जिन्दगी के लिए किये जा रहे संघर्षों में लाखों महिलाएँ आई हैं। महिलाएँ अब अमरीका की श्रमशक्ति का 50% हैं।

जहाँ एक ओर हमने कार्यस्थानों में तकनीकी क्रांति देखी है, जिसके चलते अमरीकी उद्योगों की उत्पादकता और आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अमरीकी मजदूरों का जीवनस्तर लगातार नीचे गिरा है। महिला श्रमिकों को, जो अभी तक वेतन, लाभ, सामाजिक स्थिति और जिम्मेदारी के मामले में भेदपूर्ण बर्ताव की खाई नहीं पाट पाई हैं, इस बोझ का विषम और अमूमन दुष्कर भाग ढोना पड़ रहा है।

रीगन प्रशासन के आठ वर्षों में और बुश के वर्त्तमान शासन के दौरान परिवारों को लाभ पहुँचाने वाले हरेक संघीय कार्यक्रम में कटौती हुई है। आज हम उस नाभिकीय परिवार जिसमें पिता, माता और दो बच्चे होते थे—पिता हर सुबह काम करने जाते और मां गृहस्थी संभालती, की बात नहीं कर सकते। पहली बात कि मां काम करने जाती है। वहाँ कई एक-पिता वाले परिवार हैं—उनके सहित जिनमें युवा माँएँ हैं। कई परिवार दादा-दादी या उनमें से एक के अधीन है। काम छूट जाने से या किराया-वृद्धि की वजह से कई परिवार घर-बार-

हीन हो जाते हैं। नस्लवाद की अतिरिक्त समस्या से जूझते हुयेभी अफ्रीकी -अमरीकी परिवारों ने शक्तिशाली जिजीविषा दिखाई है।

बहुसंख्यक कामकाजी माताओं के नवजात से लेकर 12 वर्ष तक की एक या ज्यादा संताने हैं। इन कामकाजी महिलाओं के 80 प्रतिशत को कोई वैतनिक प्रसूति अवकाश नहीं मिलता—अवैतनिक भी नहीं, सरकार द्वारा न्यूनीकृत परिवार अनुदान भी वही, जहाँ तक कि संघ द्वारा स्वीकृत बाल-सेवा केन्द्र या विलालयोन्तर कार्यक्रम भी नहीं मिलता जहाँ के अपने बच्चों को ले जा सकें।

अमरीका में रोजगार सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अतः यह असुरक्षा और परेशानी का भाव मजदूर वर्ग में आम-तौर पर है। बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन, मजदूरों द्वारा न्याय की गुहार लगाने पर उन देशों में अपने कार्य लगा देते हैं जहाँ उन्हें निश्चित तौर पर ऊँचे लाभ कमजोर या अस्तित्वहीन श्रम कानून और कम यदि कोई, पर्यावरणीय रोक-थाम के कानून मिलें।

सुप्रीम कोर्ट के रेगन बहुमत ने हाल में पिछले नस्लवादी और लैंगिक भेदभाव को सुधारने वाले सकारात्मक कदमों (हायरिंग, प्रमोशन कोटा) के खिलाफ फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कॉरपोरेशन को यह नहीं सिद्ध करना है कि उसने भेदभाव नहीं बरता, बाकी पीड़ित लोगों को सिद्ध करना होगा कि उनके साथ भेदभाव बरता गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हड़ताली मजदूरों को हटाकर सदा के लिये हड़ताल विरोधियों को लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला है कि गरीब महिलाओं को जनन-विकल्प का अधिकार नहीं है।

अमरीका में मद्यपान के पीछे यही निराशा और असुरक्षा की भावना है। यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आजकल कई शिशु मद्यपान के आदी या एड्स से संक्रमित पैदा हो लेते हैं। सरकारी अफसरों की स्वीकृति पर हमारे समुदायों में मादक द्रव्य लाने के लिए जिम्मेबार लोगों को युद्ध के खेल खेलने से फुर्सत नहीं है, मद्य-व्यापार को हटाने, या अपने कुत्सित व्यापारों के शिकार लोगों के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य केन्द्र क्या खोलेंगे। निजी तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य-स्मगलरों की रक्षा करते हुए कॉरपोरेशन मजदूरों का इक्का-दुक्का और आक्रमक मद्य-जाँच करवाते हैं।

पिछले दस वर्षों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और बाल समस्याओं तथा बलात्कार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। अमरीका में हरेक 18वें सेकंड में एक औरत को पीटा जाता है। हरेक साढ़े तीन मिनट में एक बलात्कार या बलात्कार का प्रयास होता है। हालांकि घरेलू हिंसा को ज्यादातर राज्यों में अपराध माना जाता है, कई पुलिस कर्मचारी और जज दांपत्य हिंसा को युद्ध तौर पर निजी बात मानते हैं।

इसी साल 9 अप्रैल को वाशिंगटन डी० सी० में "महिला मुद्दों" पर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। बड़ी पूंजी वाले संचार माध्यमों के रिपोर्ट के अनुसार आधे बिलियन से अधिक लोगों ने अपने प्रजनन-विकल्प के अधिकार को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन में भाग लिया। लेकिन इन समाचार माध्यमों ने जिस चीज को नजर-अंदाज किया वह यह थी कि जुलूस महिला और श्रम आंदोलनों की एकजुटता का वक्तव्य था। जुलूस का विशालतम तबका ट्रेड यूनियनों से आए पुरुषों और महिलाओं का था और प्रजनन विकल्प के अधिकार के अलावा जुलूस ने बाल-देखभाल, पिता की छुट्टी, वेतन-समता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त आवास व्यवस्था और सैनिक खर्चों में कटोती की भी मांग की।

आज जब हम सोफिया (बल्गारिया) में सभा कर रहे हैं, वर्जिनिया के कोयला खदान मजदूर पिटस्टन कोल कंपनी के खिलाफ भयानक हड़ताल में जुटे हुये हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पेंशन सुविधाओं की सुरक्षा के लिये पुरुष-महिलायें सविनय अवज्ञा के अहिंसात्मक तरीके अपना रहे हैं। खदानों में जाने से कोयले की गाड़ियों को रोकने के लिये सड़क बन्द करते सैकड़ों मजदूरों को कैद किया जा चुका है और यूनाइटेड माइन्स वर्कर्स एसोसियेशन पर लाखों डॉलरों का जुर्माना ठोक दिया गया है। लेकिन उन्हीं के शब्दों में, "वे पीछे नहीं मुड़ेंगे, वे अपने बच्चों, अपनी जिन्दगी और अपने यूनियन के लिये न्याय लेकर रहेंगे।"

इसी तरह खदान नं० 3 पर 100 खदान मजदूरों ने धरना दिया और जबकि 2000 समर्थक खदान दरवाजे पर बैठे हुये हैं, जब तक पिटस्टन बातचीत के लिये राजी नहीं होगा वे नहीं हिलेंगे। वर्जिनिया के गवर्नर ने मजदूरों से मिलने से इंकार कर दिया, यह कहते हुये कि वह

'उदासीन' है जबकि उसने कोल फील्ड और पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग के लिये अतिरिक्त राज्य पुलिस की टुकड़ियां मंगवायी। इसके बारे में सुर्खियां या रात्रि समाचार नहीं छपते।

लगभग हरेक सप्ताह अमरीकी मजदूर अमरीकी बैंक, तेल कंपनियों और कौंसलरी ऑफिसों के आगे, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के लिये प्रदर्शन करते हैं; एल सल्वाडोर और निकारागुआ में अमरीकी हस्तक्षेप को खत्म करने की मांग को लेकर सरकारी गद्दियों के आगे प्रदर्शन करते हैं; अपनी जिन्दगी को दांव पर लगाकर नाभिकीय विस्फोटों में विलंब करवाकर सत्याग्रही नेवेड मरुभूमि से होकर नाभिकीय अस्त्र जांच स्थल तक चलकर जाते हैं। उनकी मांग है कि अस्त्र-दौड़ खत्म हो और सैनिक उद्योगों को नागरिक उद्योगों में बदल दिया जाये।

हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम एक दीर्घतर प्रगति की गारंटी नहीं दे सकते जब तक संसार नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त नहीं होगा।

जैसा कि मजदूर नेताओं के एक सम्मेलन में डॉ० मार्टिन लूथर किंग ने कहा—"विभिन्न शाखाओं के मजदूरों का एकजुट जमाव होगा। उच्चतर संगठनों के चाहे जो कुछ भी प्रस्ताव या कार्रवाइयां हों, मजदूर वर्ग की प्रताड़ित मानसिकता दबायी नहीं जा सकती।" उन्होंने जोड़ा कि, "यह आवाज शांति और न्याय का पल्ला भारी करने वाली अंतिम आवाज होगी।"

मेरे खयाल से डॉ० किंग का वर्णन हमारी इस सोफिया मीटिंग के उद्देश्यों और आशाओं को भी पूरी तरह व्यक्त करता है।

हमारी एकजुटता जरूर रंग लाएगी।

एच० एस० सी० एल० प्रबंधन द्वारा महिला टाइपिस्ट को पीड़ित करने की हरकत की सीटू द्वारा निंदा

सीटू ने एच० एस० सी० एल० चेयरमैन के पास शिकायत दर्ज की। मुद्दा था विशाखापट्टनम के एक अधिकारी द्वारा एक महिला टाइपिस्ट ज्वायस ए० वायलेट की यौन यंत्रणा। वायलेट की उस अफसर के मंसूबों को नाकाम करने के चलते कई बार बदलियां कर दी गईं।

ज्वायस वॉयलेट सलेम में टाइपिस्ट नियुक्त हुई। पर बदली के बाद उसे अपने बच्चे और नवजात शिशु को छोड़कर तंडूर इकाई (कर्नाटक) जाना पड़ा। ताज्जुब की बात है कि जब वह मातृत्व अवकाश पर थी, तभी उसके नाम के स्थानांतरण आदेश दिए गए। वायलेट को एक बार फिर अपने परिवार वगैरह से अलग विशाखापट्टनम ढकेल दिया गया। उसने तमिलनाडु वापस आने के लिए कई आवेदन दिए पर उसकी अपील किसी ने नहीं सुनी। गौर किया जाए कि इस अवधि में कई पुरुष कर्मचारियों को तमिलनाडु स्थानांतरित किया गया लेकिन वायलेट की वाजिब गुजारिश को एच०एस०सी०एल० प्रबंधन ठुकराती रही। उसके बच्चे को दिमागी बुखार रहता था पर इससे एच०एस०सी०एल० दादाओं को क्या मतलब।

विशाखापट्टनम में एक वरीय एच०एस०सी०एल० अधिकारी की हवस का शिकार उसे होना पड़ा। जब उसने विरोध किया तो उसकी एक ही साल में उसी कार्यालय में तीन बार बदलियां की गईं।

सीटू की शिकायत पर एच०एस०सी०एल० के चेयरमैन ने मामले की छानबीन के लिए एक वरीय अधिकारी को भेजा। पर, समस्या को हल करने की जगह उसे स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा।

सीटू सचिव एम० के० पंधे ने, चेयरमैन कर्नल एस० पी० आनन्द को भेजे गए संवाद में, एच०एस०सी०एल० प्रबंधन के घिनौने रवैये की निंदा करते हुए दोषी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने, और ज्वायस वायलेट को तमिलनाडु स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके।

आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं की दुर्दशा व ज. म. समिति के बढ़ते कदम

☐ मंजु सिंघवी

जयपुर जिले में लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं। कांग्रेस शासन में आम आदिवासी का जीवन भयंकर शोषण-उत्पीड़न व अत्याचारों से भरा हुआ है तथा इस समय 90 प्रतिशत से अधिक परिवार भूख-बीमारी-अज्ञानता-कर्ज व बेकारी की आग में जल रहे हैं। इस भयंकर सर्दी में किसी भी घर में ओड़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं है और लकड़ी की आग के सहारे ठण्ड के दिन-रात काट रहे हैं अथवा बच्चों को चावल के पराल में छिपा कर ठण्ड से बचाते हैं। इस हालत में आदिवासी महिलाओं की दशा तो और भी ज्यादा नारकीय जीवन में बीतती हैं। आदिवासी औरत जो सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक घर व खेती का काम करती है अथवा मजदूरी करने जाती है या जंगल से लकड़ी लाकर पेट पालती है उसे पुरानी रूढ़ियों के कारण घर में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। यहां तक कि दूध पीते बच्चों को भी छोड़ कर घर से भगा दिया जाता है मगर विशेष कानूनों के कारण ही औरत कहीं पर भी जाकर न्याय की गुहार नहीं कर सकती है। ठीक-ठाक खाते-पीते परिवार में एक ही आदमी के दो तीन तक औरतें होते हुए भी आदमी जितनी चाहे औरतें ला सकता है। इस क्षेत्र में 99 प्रतिशत महिलाऐं निरक्षर हैं तथा 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के गुप्त रोग लगे हुए हैं। डिलेवरी कराने के भी पुराने तरीकें हैं जिससे अनेक महिलाओं को टिटनेस की बीमारी लगी हुई है और अंध विश्वासों के कारण डरकर-भूत के विश्वास पर उसे बिना इलाज के जीवन काटना पड़ता है। आदमी तो अपनी मर्जी से चाहे जितनी औरतें ला सकता है मगर औरत अपनी इच्छा से कहीं पर भी नहीं जा सकती है। इस क्षेत्र की अधिकतर जवान लड़कियां गरीबी व बेकारी के कारण दूर-दराज गुजरात अथवा उदयपुर जैसे शहरी क्षेत्र में आकर मजदूरी करती हैं जहां पर नाम मात्र की मजदूरी मिलती है वो भा ठेकेदार अथवा मालिकों की इच्छा पर। यही नहीं पेट के खातिर आम तौर से मजदूरी कराने वाले इन जवान लड़कियों का देह शोषण भी करते हैं, बलात्कार करते हैं और जब कोई लड़की स्वाभीमान से जीने के लिये बोलती है तो उसे मार-पीट कर और मजदूरी चुकाये बिना भगा दिया जाता है। पुलिस का डर बताया जाता है पुलिस के बर्बर अत्याचारों से डरी औरत चुप-चाप हर प्रकार के जुल्म बर्दाश्त करते हुए चुप रहती हैं। इन तमाम परिस्थितियों में इस क्षेत्र में जनवादी महिला समिति ने महिलाओं को संगठित करने का निर्णय लिया और किसान सभा व जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कदम आगे बढ़ाने शुरू किये हैं।

झारडोल-कोटड़ा तहसीलों के अलावा घरियावद-खेरवाड़ा तहसीलों में महिलाओं को संगठित करने के लिये जनवादी महिला समिति ने कदम उठाये हैं। अभी पिछले एक साल से झारडोल-कोटड़ा तहसील में जनवादी महिला समिति की जिला सचिव मंजु सिंघवी, सहसचिव साधना मीणा व रतन देवी, सोहन देवी आदि ने मिलकर सदस्यता अभियान चलाया और दिनांक 5.11.89 को फलासिया में एक महिला सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में माकपा के जिला सचिव बी० एल० सिंघवी ने सम्मेलन में आई महिलाओं के दुःखों व कारणों का वर्णन करते हुए आह्वान किया कि महिलाओं को संगठित व जागरूक हुए बिना कोई तकलीफ नहीं जायेगी। राज करने वाले मूर्ख बनाने के वादे जरूर करेंगे मगर अपनी जिन्दगी को तो बदलने के लिये अपना खुद को आगे आना होगा। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव मंजु सिंघवी ने बताया कि महिलाओं की खराब हालत की जिम्मेदारी भयंकर बेकारी है और जब तक औरत को रोजगार की गारन्टी नहीं मिलती तब तक पेट (रोट) की मजबूरी हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कराती है। अतः अब जनवादी महिला समिति ने देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा है तथा हाल ही में दिल्ली में महिलाओं का विशाल प्रदर्शन कर रोजगार की गारन्टी की मांग उठाई है तथा समाज में बराबरी का हक पाने के लिये आज जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में महिलाऐं संगठित हो रही हैं। अतः अब इस क्षेत्र में

[शेष पृष्ठ 22 पर]

जयपुर में आंगनवाड़ी महिला सम्मेलन ने सरकारी कर्मचारियों की हैसियत की मांग की

जयपुर और पड़ोसी गांव चकूतहसील के कोने-कोने से आयी जिले की 600 आंगनवाड़ी वर्करों तथा हेल्परों का प्रतिनिधित्व करने वाली 200 महिला प्रतिनिधि यूनियन बनाने और इसके सम्मेलन करने के लिये 14 अक्टूबर को जुटीं।

ए. आई. सी. सी डब्ल्यू. ने राजस्थान में आंगनवाड़ी महिलाओं को संगठनबद्ध करने का विशेष प्रयास किया है। अगस्त में आयोजित सम्मेलन पहली सफलता थी। जयपुर में भी अब शुरुआत हो गई है। जहां कहीं भी हम गईं और इन महिलाओं के साथ हरेक मुख्यालयों पर सभाएं कीं—प्रत्युत्तर जबर्दस्त रहा। हरेक महिला ने आई.सी.डी.एस. के अखिल भारतीय फेडरेशन से जुड़े यूनियन बनाने की बात को समर्थन दिया। सच में आई.सी.डी. एस. प्रशासन तो कार्यकर्त्ताओं के उत्साह और दृढ़ता को देखकर दंग ही रह गया। इसने यूनियन में हिस्सेदारी करने की स्थिति में इन महिलाओं को धमकाने का जबर्दस्त अभियान छेड़ा। आई.सी.डी.एस. का डिप्टी डायरेक्टर 11, 12 और 13वें अक्टूबर को सैकड़ों केन्द्रों पर गया और उसने धमकी दी कि महिलाएं यदि 14 अक्टूबर को सम्मेलन में जायेंगी तो अविलंब निलंबित कर दी जायेंगी। सम्मेलन के दिन तो सम्मेलन-स्थल पर आई.सी.डी.एस. के कर्मचारी जीप लेकर दिन-भर खड़े रहे—उन महिलाओं के नाम लिखते जो सम्मेलन में जा रहीं थीं- और कई बार जाने से रोकते भी रहे। यह अभूतपूर्व भी था और अप्रत्याशित भी। सरकारी तंत्र इस तरह खुल्मखुल्ला, यूनियन बनाने और अपने मत की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन ले जा सकता है। कई महिलाओं ने बोलते हुये ऐसा कहा। मधु सेठिया ने परिचयात्मक वक्तव्य दिया।

आई.सी.डी.एस. प्रेपेरेटरी कमेटी की सेंटर की कामरेड विमल रणदिवे ने सम्मेलन को संबोधित किया। कामरेड विमल ने सम्मेलन और आंगनवाड़ी मांगों पर देश भर में चल रहे आंदोलनों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने लंबे-चौड़े वादे कर महिलाओं के लिये कुछ भी नहीं करने वाले राजीव गांधी की आलोचना भी की। राजीव गांधी ने 16 अगस्त और 17 अगस्त को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं से बात की पर उन्हें बिना उनकी एक भी मांग माने उन्हें वापस भेज दिया। 19 नवंबर को कुछ देने का उनका वादा इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिये।

सम्मेलन में कई आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने अपनी बातें रखीं। स्नेहलता शर्मा ने कहा कि हमें एकजुट होकर अपनी मांगों के लिये लड़ना चाहिये। एक हेल्पर ग्यारसी बाई ने सुनाया कि किस तरह उसने सी.डी.पी.ओ. को ईंधन बिल पास करने और महीनों से रुके वेतन का भुगतान करने के लिये केन्द्र पर उसकी जीप को तीन दिनों तक रोककर—मजबूर किया। ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यकर्मियों ने शिकायत की कि उन्हें घर के किराये के नाम पर मात्र 25/- प्रतिमाह मिलता है। एक और आम शिकायत यह थी कि टीका कार्यक्रम महिलाओं को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता था पर कार्यकर्मियों को उन्हें समझाने में मदद करने की जगह अफसर और डॉक्टर दुर्व्यवहार करते और दादागिरी दिखाते हैं। तकरीबन सभी कार्यकर्मियों ने कम वेतन और भारी कार्य-बोझ की शिकायत की। समय-समय पर जमा की जाने वाली रिपोर्टों के अलावे 13 रजिस्टर संभालने होते हैं। एक कार्यकर्मी का कहना था कि हमपर परिवार नियोजन के लिये लोग जुटाने के लिये दबाव डाला जाता है और यदि किसी महिला को बाद में किसी समस्या से पाला पड़ता है तो सुनवाई नहीं होती और कई बार वर्कर को इन मामलों में दवा आदि कराने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है।

एडवा की सचिव कामरेड पुष्पा शर्मा ने भी सम्मेलन का अभिनंदन किया। अंत में एक 51 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई, यूनियन की अध्यक्ष मधु सेठिया और सचिव स्नेहलता शर्मा बनीं।

आंगनवाड़ी महिलाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाये जाने और 600/400 के वेतन की मांग के नारे लगाते हुये सम्मेलन समाप्त हुआ।

जनता की जीत

एड्वा की केन्द्रीय कार्यकर्मियों की 7 दिसंबर की नई दिल्ली मीटिंग ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है—

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एड्वा) राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के गठन का स्वागत करती है। पिछली सरकार के भ्रष्ट कुप्रशासन के खिलाफ निर्णय देने के लिए समिति जनता का अभिनंदन करती है। उस सरकार की हार लोगों की जीत हैं।

ज. म. स. कांग्रेस के खिलाफ चुनावी संघर्ष में व्यापक हिस्सेदारी के लिये महिलाओं को विशेष तौर पर बधाई देती है, जिन्होंने कांग्रेस की महिला वोट बैंक का मिथक चकनाचूर कर दिया है। नाटकीय लफ्फाजी, झूठे दावे और महिला रोजगार योजना महिलाओं को मूर्ख नहीं बना सके और उन्होंने कांग्रेस विरोधी संघर्ष की मुख्य-धारा से जुड़कर महत्वपूर्ण शिरकत की। समिति पं० बंगाल में वाममोर्चे को निर्णायक जीत दिलाने के लिये महिलाओं को साधुवाद देती है।

एड्वा प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह के इस वक्तव्य का स्वागत करती है कि उनकी सरकार कीमतों पर नियंत्रण को प्राथमिकता देगी। लोगों की जिन्दगी को तबाह करना यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और राजीव राज की अभूतपूर्व मूल्य-वृद्धि उसकी हार का एक मुख्य कारण थी। हम आशा करती हैं कि सरकार इससे अविलंब निपटेगी। महिलाओं के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन, भयंकर छंटनी के लिये जिम्मेदार अंधाधुन्ध मशीनीकरण की समाप्ति कर रोजगार के अवसरों का विस्तार, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को दंडित करने के लिये कानून-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन, महिलाओं से संबद्ध कानून का कार्यान्वयन और महिलाओं को संपत्ति अधिकार-सहित कानून की विषमता दूर करने के लिये दूरगामी कदम उठाना, इत्यादि गौरतलब मुद्दे हैं। एड्वा प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का भी स्वागत करती है कि वे पंजाब, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद, कश्मीर आदि समस्याओं को राष्ट्रीय प्रयास के आधार पर सर्व-सम्मत तौर पर हल करेंगे।

इस संदर्भ में एड्वा देश के कुछ हिस्सों में जारी खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक अभियान, जिसके चलते साम्प्रदायिक ताकतों का उत्साह वर्द्धन हुआ है, पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। जहां कांग्रेस (ई) म धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भा. ज. पा. के भयंकर सांम्प्रदायिक अभियान और इसकी 54 सीटों पर विजय महिला आँदोलनों के लिये चिंता का विषय है, क्योंकि यह महाराष्ट्र में शिवसेना के आक्रामक महिला विरोधी रुख से स्पष्ट है। इस तरह, चुनाव के परिणाम तमाम जनवादी तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिये उन लोगों के खिलाफ भिड़ने की चुनौती भी हैं, जो जनता की एकता को धर्म तथा जाति के नाम पर भंग करना चाहते हैं। इन बड़े संघर्षों के माध्यम से ही उन सांप्रदायिक राष्ट्रविरोधी ताकतों को जनता से अलग-थलग किया जा सकता है।

[पृष्ठ 20 का शेष]

भी हर महिला को इस नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाने के लिये संगठन से जोड़ना चाहिये तथा जबरदस्त आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा। साधना मीणा ने अपने जोरदार भाषण में आदिवासी महिलाओं को उनकी ही बोली में उठ खड़ा होने के लिये आह्वान करते हुए कहा कि कब तक जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त करोगी। एक औरत ही बड़े से बड़े लाट्साब की मां होती है फिर औरत क्यों पांव की जूती बनी रहेगी। औरतों को पुरुषों से भी आगे बढ़ कर जुल्मों के खिलाफ लड़ाई में आगे आना होगा क्योंकि औरत पर औरत होने के कारण दोहरी मार पड़ती है। इस सम्मेलन में जिला कमेटी की साथी रतन देवी व सोहन देवी ने तय किया कि वो हर माह 10 दिन इस क्षेत्र में रहेगी और घर-घर जाकर सदस्यता अभियान चलायेंगी। इसी के तहत 5 से 16 नवम्बर तक आमलिया-ढाला आदि गांवों में घर-घर जाकर 300 से ज्यादा सदस्य बनाये तथा एक-एक महिला को संगठन के बारे में समझाया। इस सम्मेलन में 11 सदस्यीय तहसील कमेटी चुनी गई जिसकी अध्यक्ष मणी बेन और सचिव भवरी बाई चुनी गई। इसी प्रकार उदयपुर कांकरोली-नाथद्वारा क्षेत्र में भी संगठन की गतिविधियाँ जारी हैं।

कामरेड ला पैशोनारिया

ला पैशोनारिया नाम से विश्व भर में मशहूर, का० इबारूरी डोलोरेस के निधन पर सी आई टी यू अपने गहरे शोक का इजहार करती है। उनका निधन 12 नवम्बर को मद्रिद में हुआ। 9 सितम्बर 1895 को गलान्ना (स्पेन) के खनिक परिवार में जन्मी स्पेनी गृह-युद्ध की विलक्षण नायिका और अपने जीवनकाल में ही आख्यान बन चुकीं कामरेड पैशोनारिया 1917 में स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुई और स्पेन के मजदूर आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्त्ता बन गईं। अक्टूबर क्रांति कि जीत का उनपर भारी प्रभाव पड़ा और 1920 में स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ वह पार्टी में शामिल हो गईं। उनके अथक परिश्रम, सांगठनिक क्षमता संघर्षों के दौरान व्यवहारिक नेतृत्व देने की क्षमता और कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रचारित करने की काबलियत के चलते उन्होंने बड़ी जल्दी ख्याति अर्जित कर ली और 1930 में वह केन्द्रीय कमेटी के लिए चुन ली गईं। राजनीतिक काम के विस्तार की लगातार मांग के साथ ही डोलोरेस को गरीबी के खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष करना पड़ा। उनकी एकमात्र बेटी कुपोषण की शिकार होकर मर गई। इन्हीं वर्षों के दौरान उन्होंने भयंकर दमन का सामना करते हुए अनेक बड़ी हड़तालों का नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में यातनाएं दी गयीं। रिहा होने के बाद उन्होंने युद्ध के खिलाफ महिलाओं को संगठित करना शुरू किया और युद्ध तथा फासीवाद के खिलाफ 1934 में पेरिस में पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में शिरकत की। भारी जोखिम उठाकर वह अपने अन्य डेलिगेट साथियों के साथ 1935 में मास्को भी जा पहुंची। जहां उन्होंने कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की सातवीं कांग्रेस में भाग लिया। इसी कांग्रेस में ज्यार्जी दिमित्रोव ने फासी-वाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की अपनी ऐतिहासिक थीसिस पेश की थी। उसके बाद दोलोरेस ने जेनरल फ्रेंको के फासीवादी हरकतों से लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे के गठन के लिए दिन-रात एक कर दिया। गृहयुद्ध की परीक्षा की घड़ी और उस खूनी दौर ने दोलोरेस की विलक्षण क्षमताओं को फिर उजागर किया। उसका नारा था "नो पासारन" (वे गुजर नहीं सकते) और इस नारे के गिर्द वे तमाम राजनीतिक कार्यकर्त्ता लामबन्द हो रहे थे, जो फासीवाद और युद्ध के खिलाफ थे। उनके लेखन और भाषणों ने न केवल स्पेन के लाखों लोगों को, बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी प्रेरित किया। 1942 में दोलोरेस स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव चुनी गईं। रिपब्लिकन सेना की हार के बाद निष्कासित दोलोरेस मास्को चली गई और 1977 में जनरल फ्रेंको की मृत्यु के बाद ही अपने प्यारे देश स्पेन में वापस लौट सकीं।

स्पेन लौटने के बाद अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उन्होंने लोगों को संगठित करने, ट्रेड यूनियनों को फिर से खड़ा करने, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने, जनता की नागरिक आजादियों के लिए संघर्ष करने और कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने का काम फिर शुरू कर दिया।

कामरेड ला पैशोनारिया का संग्रामी जीवन और उनका काम स्वतन्त्रता, लोकतंत्र, शांति और समाजवाद के लिए संघर्षरत विश्व के लाखों-लाख लोगों को सतत् प्रेरित करता रहेगा।

ए० आइ० डी० डब्लू० ए० का शोक संदेश

कामरेड ला पैशोनारिया के निधन पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से का० विमल रणदिवे (उपाध्यक्ष) ने स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी को निम्न शोक संदेश भेजा है।

दोलोरेस इबारूरी ला पैशोनारिया के निधन पर गहरा दुःख हुआ। वह महान् क्रांतिकारी और महिलाओं के अधिकारों की योद्धा थीं। उनका जीवन विश्वभर की दलित महिलाओं को निरंतर प्रेरित करता रहेगा कि वे उन्हीं की तरह उसे और निडर होकर मुक्ति और स्वाधी-नता के लिए संघर्ष करें और इस विश्वास से लड़ें कि अंततः उनकी विजय होगी।

[पृष्ठ 2 का शेष]

एम० के पोलिंग एजेंट मारे-पीटे गए, आतंक और मौत का नंगा नाच हुआ। इस चुनाव के पहले और बाद में कुल मिलकर 100 जानें गईं। लेकिन आतंक और घोटाले शासक दल को शर्मनाक हार से बचा नहीं पाए।

सांप्रदायिक मुद्दों का प्रभुत्व

गौरतलब बात है कि इस चुनाव के पहले कभी भी सांप्रदायिक प्रचारों का ऐसा जोर नहीं था। कांग्रेस और भा०ज०पा० दोनों पार्टियों ने रामजन्मभूमि-बाबरी-मस्जिद को चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों में सांप्रदायिक विभाजन करने का भरपूर कोशिश की जिसका नतीजा था कोटा, जयपुर, भागलपुर और दूसरी जगहों के दंगें जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग हताहत हुए। इन सांप्रदायिक मुद्दों पर बिहार तथा उत्तर प्रदेश की जनता की धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की दाद देनी होगी क्योंकि वहां कांग्रेस और भा०ज०पा० दोनों पस्त हुए। कांग्रेस का 'हिंदू कार्ड' और वर्जित क्षेत्र में शिलान्यास करने की अनुमति कांग्रेस को वोट नहीं दिला सके। इसके विपरित, आम लोगों ने उनकी चालों को नाकामयाब कर जनता की एकता सुरक्षित रखते हुए, जनता दल और वामपंथी ताकतों को जिताया।

एक और गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस (इ) अभी भी अकेली विशालतम पार्टी है, इसे संसद में 193 सीटें मिली हैं जबकि जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे ने 144 सीटें लीं। वामपंथी विपक्षी दलों को 52 सीटें मिलीं। भाजपा जिसे पिछले संसद में मात्र 2 सीटें मिली थीं, इस बार 88 ले गई। इस विचित्र स्थिति ने एक नाजुक शक्ति-संतुलन स्थापित किया—नतीजतन एक 'लटकता संसद' बना।

चुनावी मुद्दे

इस चुनाव में आम जनता खासकर महिलाओं के समक्ष कौन से मुद्दे रखे गए थे? अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि, करोड़ों की बेकारी, उच्च स्थानों में भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण आदि मुद्दे थे जिन पर जनता का निर्णय मांगा गया था। महिलाओं का भीषण शोषण, आदिवासी महिलाओं का बलात्कार और बेइज्जती, असामाजिक तत्वों तथा भूमिपति गुंडों द्वारा की गई कुत्साएं, हत्याएं तथा दहेज-हत्याएं कांग्रेस-शासन के अंदर रूटीन घटनाएं बन गई थीं।

राजीव गांधी के चुनाव-प्रचार की एक विशेषता थी महिला मतदाताओं को कांग्रेस के लिए रिझाना। 30 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के लिए पट्टा, रोजगार आदि के अलावा उन्होंने 17 नवंबर को चुनाव की ठीक पूर्व-संध्या पर इंदिरा रोजगार योजना की घोषणा की। लेकिन इस बार शायद 'वोट बैंक' ने फंसने से इंकार कर दिया। मतदाताओं ने सती-समर्थकों, रूपकुंवर और रामजन्मभूमि के हिमायतियों के खिलाफ अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी है।

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सभी पार्टियों की मदद से पंजाब समस्या को सुलझाने की दिशा में स्वागत योग्य पहल किया है। वित्त मंत्री श्री मधु दंडवते ने कहा है कि "काम का अधिकार मौलिक अधिकार" के रूप में स्वीकृत होना चाहिए और लोगों के रोजगार पर विचार किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और रिलायंस आदि की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की हाल की घोषणाओं से लोग प्रसन्न हुए हैं।

देश की एकता की रक्षा की जाए

जनवाद और देश की एकता के प्रति चिंतित लोग राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने पहले भाषण में "शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने" की घोषणा की। महिला रोजगार, महिला हितों की रक्षा के लिए न्याय और उनके खिलाफ अत्याचार करने वालों को दंडित करने आदि के संदर्भों में महिलाएं सरकार की नीतियों को नजदीकी से देखेंगी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से बड़ी आशाएं हैं। लेकिन उनके कार्यों के आधार पर ही जनता निर्णय सुनाएगी। आम जनता के मुद्दे, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की सुरक्षा के आश्वासन आदि यदि हल और पूरे किये जा सकें तो जनता समर्थन में कंजूसी नहीं करेगी। इस नाते समर्थन के आधार पर कांग्रेस (इ) और भा०ज०पा० के तिकड़मों को शिकस्त दिया जा सकेगा। आम लोगों के हितों की रक्षा कर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार उस विश्वास को मजबूत करेगी जो लोगों ने किया है, ऐसा हमारा विश्वास है।